प्रज्ञा प्रवाह

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

वर्ष-2025

मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों पर आधारित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल

प्रज्ञा प्रवाह

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(वर्ष–2025–26)

मुख्य संरक्षक :

श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

संरक्षक :

श्रीमती मोनिका रानी, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ

मार्गदर्शन :

श्री गणेश कुमार, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

निर्देशन :

डॉ0 पवन कुमार, संयुक्त निदेशक (एस0एस0ए0), राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ

अकादमिक निर्देशन :

श्रीमती दीपा तिवारी, उप शिक्षा निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रशासनिक सहयोग :

श्री अमित सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ

समन्वयन एवं सम्पादन :

श्रीमती रेनू गुप्ता, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखीमपुर खीरी

लेखक मण्डल :

श्रीमती शिवानी यादव, प्रधानाध्यापिका, राजकीय हाईस्कूल मोहम्मद नगर, अलीगंज, एटा

श्रीमती रेनू गुप्ता, प्रवक्ता (समाजकार्य), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखीमपुर खीरी

श्रीमती अर्चना पाण्डेय, प्रवक्ता (शिक्षाशास्त्र), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गौतमबुद्धनगर

श्रीमती बबिता तोमर, प्रवक्ता (शिक्षाशास्त्र), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरनगर

डॉ0 श्वेता श्रीवास्तव, प्रवक्ता (रसायन विज्ञान), राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, इन्दिरानगर, लखनऊ

श्रीमती जया सिंह, सहायक अध्यापिका, राजकीय हुसैनाबाद इण्टर कॉलेज, लखनऊ

डॉ0 अर्चना सिंह, प्रवक्ता (सामाजिक विज्ञान–1), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गाजीपुर

डॉ0 अनीता, प्रवक्ता (हिन्दी), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायबरेली

श्री दिनेश कुमार, प्रवक्ता (सामाजिक विज्ञान–1), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरेली

श्रीमती लिली श्रीवास्तव, प्रवक्ता (सामाजिक विज्ञान–1), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चन्दौली

डॉ0 अजय कुमार, प्रवक्ता (शिक्षाशास्त्र), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सहारनपुर

श्री बेद प्रकाश सिंह, प्रवक्ता (सामाजिक विज्ञान–1), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोरखपुर

श्री आशीष कुमार दीक्षित, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, मलयपुर कम्पोजिट, उन्नाव

श्री देवेश कुमार चक्रवर्ती, सहायक अध्यापक, कम्पोजिट विद्यालय, अहमदपुर, मुरादाबाद

कवर एवं बैक कवर पेज डिजाइन :

श्री विजय कुमार, प्रवक्ता (कला), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सुल्तानपुर

कम्प्यूटर ले आउट एवं डिजाइनिंग :

श्री विनय कुमार गुप्ता, कम्प्यूटर सहायक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ

श्रीमती अर्पणा चक्रवर्ती, आशुलिपिक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ

आभार : इंटरनेट तथा अन्य स्त्रोत, जिनकी सामग्री का इस प्रशिक्षण मॉड्यूल में प्रयोग किया गया है।

गणेश कुमार
निदेशक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
फोन(कार्यालय): 0522-2780385, 2780505
फैक्स : 0522-2781125
ई–मेल : dscertup@gmail.com

निदेशक की कलम से.......

शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं है बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को एक बेहतर और संवेदनशील नागरिक बनाती है। यह एक ऐसे प्रकाश पुंज के समान है जो मनुष्य के जीवन को ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण करते हुए एक जिम्मेदार, नैतिक एवं मूल्यनिष्ठ नागरिक बनाता है जिससे वह देश और समाज की उन्नति एवं विकास में अपना अहम योगदान दे सके।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व जैसे बहुमूल्य सिद्धान्तों के प्रयोग पर जोर दिया गया है। जब एक शिक्षक इन मूल्यों को अपनी कक्षाओं में आत्मसात कराता है तो वह एक ऐसे समाज की नींव रखता है जिस पर आगे चलकर सहिष्णुतापूर्ण, समावेशी एवं समतामूलक और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण सामाजिक वातावरण का सृजन होता है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल **'प्रज्ञा प्रवाह'** का विकास किया गया है।

इस मॉड्यूल के विकास के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशन हेतु मैं डॉ0 पवन कुमार, संयुक्त निदेशक (एस0एस0ए0), एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0, लखनऊ एवं अकादमिक निर्देशन हेतु श्रीमती दीपा तिवारी, उप शिक्षा निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0, लखनऊ तथा समन्वयन एवं सम्पादन हेतु श्रीमती रेनू गुप्ता, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखीमपुर खीरी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मॉड्यूल के विकास से जुड़े हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और माध्यमिक विद्यालय के प्रवक्ताओं एवं परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इसके विकास में अपना अतुलनीय योगदान दिया।

आप सभी शिक्षकगण भविष्य निर्माता हैं। आपके द्वारा विद्यार्थियों में रोपित मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनकर हमारे समाज को मानवीय गरिमा एवं न्याय की शीतल छाँव प्रदान करेगा।

मेरा विश्वास है कि आप सभी इस प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान और कौशल का प्रयोग कर अपने विद्यार्थियों को सशक्त बनायेंगे और एक ऐसे समाज की नींव रखेंगे जो न्याय, सहिष्णुता एवं नैतिकता जैसे मूल्यों पर केन्द्रित होगा और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में सहायक सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं सहित

(गणेश कुमार)

भूमिका

शिक्षा केवल ज्ञान या सूचना देने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह मानव निर्माण की एक सतत् श्रृंखला है। यदि शिक्षा में मूल्यों का समावेश नहीं होता तो यह केवल कौशल और तकनीकी दक्षता तक सीमित रह जाती। ऐसे में समाज की भौतिक प्रगति तो होगी किन्तु नैतिक पतन और संवेदनहीनता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अतः शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब यह विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ ही भावनात्मक एवं नैतिक विकास में भी योगदान करे।

आज का समय वैज्ञानिक प्रगति, सूचना क्रांति और वैश्वीकरण का है। इससे विद्यार्थियों के सामने असंख्य अवसर तो आते हैं परन्तु जीवन में तनाव, नैतिक द्वन्द और सामाजिक असमानताएँ भी बढ़ती हैं। ऐसे में शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त कराना नहीं बल्कि जीवन को सार्थक और संतुलित बनाना भी होना चाहिए। अतः मूल्य आधारित शिक्षा अनिवार्य है जिससे विद्यार्थी संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनें, उन्हें अपने कर्तव्यों और अधिकारों का बोध हो और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की नैतिक शक्ति प्राप्त हो।

इस संदर्भ में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि मार्गदर्शक, प्रेरक और आदर्श भी बने। वर्तमान परिवेश में तकनीक के प्रयोग यथा विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्म, चैटबॉट आदि द्वारा विद्यार्थी को सूचनाएँ तो प्राप्त हो जा रही है किन्तु यह शिक्षक ही है जो अपने आचरण, विचार, कार्यपद्धति के माध्यम से विद्यार्थियों में ईमानदारी, करुणा, सहयोग, संवेदनशीलता, समानुभूति, संवेदनशीलता, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण जैसे मूल्यों का संवर्द्धन करते हैं।

शिक्षक मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति अधिक जागरुक हों, शिक्षण में मूल्यों का समावेश करें, उनका दृष्टिकोण अधिक समानुभूतिपूर्ण तथा संवेदनशील हो, इस हेतु उन्हें समय–समय पर मूल्य आधारित प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

मूल्यों से समृद्ध व पुनर्बोधित शिक्षक अवश्य ही विद्यार्थियों में नैतिक आचरण, सामाजिक उत्तरदायित्व व जीवन कौशल विकसित करेंगे जिससे शिक्षा समाजोपयोगी होने के साथ–साथ जीवनोपयोगी बन सकेगी और विद्यालय केवल पढ़ाई का केन्द्र न रहकर चरित्र निर्माण का केन्द्र बन सकेगा।

प्रशिक्षक/सुगमकर्ता के लिये निर्देश

- प्रतिभागियों की रुचि व भागीदारी बढ़ाने के लिए गतिविधियों व शिक्षण–अधिगम सामग्री का प्रयोग अधिकाधिक करें।
- सरल व स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करें।
- सुगमकर्ता सत्र के मध्य में प्रतिभागियों से संवाद स्थापित करते हुए ऐसे प्रश्न अवश्य पूछें जिससे प्रतिभागियों की समझ स्पष्ट व सुनिश्चित हो सके।
- प्रतिभागियों के विचारों और अनुभवों को सम्मान दें। प्रतिभागी जब अपनी बात कह रहे हों तो उन्हें अनावश्यक न टोकें। यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रतिभागियों को अभिव्यक्ति का समान अवसर प्राप्त हो सकें।
- सुगमकर्ता प्रतिभागियों के विचारों की सराहना करते हुए अन्य प्रतिभागियों को ध्यान से सुनने के लिए निर्देशित करें।
- समूह कार्य या गतिविधि के दौरान, यथासंभव सुगमकर्ता प्रतिभागियों के पास उनके सहयोग के लिए उपस्थित रहें।
- सुगमकर्ता इस बात का ध्यान रखें कि समूह चर्चा के दौरान प्रतिभागी चर्चा के विषय से विचलित न हों।
- समस्त सुगमकर्ता पारस्परिक सहयोग करते हुए सत्र का प्रभावी संचालन करें।
- सुगमकर्ता सत्र के समेकन में प्रतिभागियों द्वारा साझा की गयी बातों एवं जानकारियों का सार निकालें और प्रस्तुत करें। स्वयं अंतिम निर्णय देने से बचें।
- प्रत्येक सत्र में एक से अधिक गतिविधियाँ सम्मिलित की गयी हैं, सुगमकर्ता अपनी सुविधानुसार गतिविधि का चयन कर सकते हैं व स्वयं द्वारा सत्र के अनुरूप विकसित अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी सत्र का प्रभावी संचालन कर सकते हैं।
- सुगमकर्ता प्रशिक्षण के अन्तिम दिवस/सत्र के पश्चात् सभी प्रतिभागियों को विद्यार्थियों में मूल्य विकास हेतु प्रतिज्ञा/संकल्प की शपथ ग्रहण करायें।

प्रशिक्षण का नियोजन एवं तैयारी

प्रभावी एवं सफल प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण का नियोजन एवं तत्सम्बन्धी पूर्व तैयारी अत्यन्त आवश्यक है। प्रशिक्षण के नियोजन एवं तैयारी में निम्नांकित बिन्दुओं को दृष्टि में रखना अपेक्षित है–

- प्रशिक्षण स्थल का चयन।
- मॉड्यूल में दी गयी सत्र योजना का अनुपालन।
- प्रतिभागियों व संदर्भ व्यक्तियों/विषय विशेषज्ञों/अतिथि वक्ताओं की सूची बनाना व उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।

- सुगमकर्ताओं में परस्पर कार्य विभाजन करना ।
- निर्धारित गतिविधियों हेतु आवश्यक संसाधनों एवं सामग्री की पूर्व व्यवस्था करना।
- प्राप्त प्रतिपुष्टि व स्वयं के अनुभवों के आधार पर सुगमकर्ताओं द्वारा प्रशिक्षण का समग्र मूल्यांकन करना।
- प्रशिक्षण के उपरान्त फॉलो–अप गतिविधियों का निर्धारण करना।
- प्रशिक्षण का अभिलेखीकरण।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक दिवस के अंत में उस दिन के क्रियाकलापों पर चर्चा करना, सफल बिन्दुओं को अगले दिवस में सम्मिलित करना एवं असफल बिन्दुओं के लिए नई रणनीति बनाना।
- प्रशिक्षण सत्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग/फोटोग्राफी की व्यवस्था करना।
- प्रशिक्षण आयोजित करने से पूर्व तीन दिवसीय प्रशिक्षण के सभी सत्रों की पी0पी0टी0 तैयार करना।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल के अन्त में प्रेरक वीडियो के लिंक साझा किये गये हैं। सुगमकर्ता अपनी सुविधानुसार सत्रों के बीच में प्रतिभागियों को लिंक के माध्यम से वीडियो को प्रदर्शित करें।

प्रतिभागियों हेतु नियम/निर्देश

प्रशिक्षण से पूर्व प्रतिभागियों को निम्नलिखित निर्देश दें– (यह निर्देश प्रतिभागियों की सहायता से भी तैयार किये जा सकते हैं) –

- प्रशिक्षण की फोटोग्राफी की व्यवस्था संस्थान की ओर से की गयी है। अतः सत्र के दौरान फोटोग्राफी न करें।
- कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें एवं सत्र के दौरान अनावश्यक रूप से कक्ष के बाहर न जाएं।
- प्रशिक्षण कक्ष में स्वच्छता बनाये रखें। चाय के खाली कप व नाश्ते के पैकेट, रैपर आदि कूड़ेदान में ही डालें।
- कार्यशाला में कोई दर्शक नहीं होगा, सभी प्रतिभागी होंगे। सभी प्रशिक्षण में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करें। जब कोई अपनी बात रखे तो उसकी बात पूरी होने का इंतजार करें, तभी अपनी प्रतिक्रिया दें।
- सभी को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करें।
- गतिविधि हेतु जो भी स्टेशनरी या सामग्री लें, उपयोग के बाद यथा स्थान वापस रख दें।
- स्वानुशासित होकर प्रशिक्षण की गरिमा बनाये रखें।
- क्यू–आर कोड के माध्यम से प्रशिक्षण से पूर्व पंजीकरण एवं पूर्व–आकलन प्रपत्र भरना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद पश्च–आकलन प्रपत्र और प्रतिपुष्टि प्रपत्र भरना सुनिश्चित करें और प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर आगामी सत्रों को और अधिक प्रभावी बनाया जाये।

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	विषयवस्तु विवरण	पृष्ठ सं0
1	पंजीकरण एवं मॉड्यूल परिचय	10
2	मानवीय मूल्य : एक परिचय	11 – 15
3	संवैधानिक मूल्य एवं मौलिक कर्तव्य	16 – 20
4	राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के परिप्रेक्ष्य में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य	21 – 25
5	मूल्यों के विकास में प्रभावी सम्प्रेषण की भूमिका	26 – 30
6	विद्यालयी सन्दर्भ में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने हेतु प्रमुख रणनीतियाँ	31 – 35
7	बाल अधिकार के सन्दर्भ में शिक्षक एवं समाज का उत्तरदायित्व	36 – 39
8	पाठ्यसहगामी क्रियाओं में विभिन्न मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का समावेशन	40 – 45
9	अन्तर्विषयक सम्बन्धों का मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों के सन्दर्भ में समावेशन (शिक्षण योजना कार्य)	46 – 49
10	प्रतिभागियों द्वारा शिक्षण योजना का प्रस्तुतीकरण	50 – 52
11	विद्यालय एवं कक्षा प्रबन्धन	53 – 59
12	मूल्यों के विकास में परिवार एवं समाज की भूमिका	60 –64
13	मूल्यों के विकास में ध्यान एवं माइंडफुलनेस का महत्व	65 – 67
14	परिशिष्ट – संकल्प, प्रेरणा गीत, प्रेरक वीडियो लिंक, पूर्व एवं पश्च आकलन प्रपत्र, प्रतिपुष्टि प्रपत्र, SWOC विश्लेषण प्रपत्र	68 – 79

मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों पर आधारित प्रशिक्षण

सत्र योजना (प्रथम दिवस)

पंजीकरण सत्र (10:00 –10:30)	प्रथम सत्र (10:30 –11:50)	चाय (11:50 –12:00)	द्वितीय सत्र (12:00 – 1:30)	1:30 से 2:00	तृतीय सत्र (02:00 – 03:20)	चाय (3:20 – 3:30)	चतुर्थ सत्र (03:30 –05:00)
• पंजीकरण • मॉड्यूल परिचय	• प्रथम सत्र परिचयात्मक गतिविधि –15 मिनट • चर्चा बिन्दुओं के आधार पर पी0पी0टी0 के माध्यम से मानवीय मूल्यों को स्पष्ट करना – 25 मिनट • गतिविधि – मानवीय मूल्यों का मानचित्रण – 15 मिनट • गतिविधि – मूल्यों को समझें और पहचानें – 15 मिनट • प्रथम सत्र का समेकन – 10 मिनट	टी ब्रे क	• गतिविधि – मेरा देश– मेरे नियम –15 मिनट • पी0पी0टी0 के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों, स्रोतों व महत्व पर चर्चा – 20 मिनट • मूल कर्तव्यों पर चर्चा – 15 मिनट • गतिविधि – संवैधानिक मूल्यों का मांइड मैप – 15 मिनट • गतिविधि – बूझो तो जाने – वर्ग पहेली – 15 मिनट • समेकन – 10 मिनट	भो ज न अ व का श	• वीडियो–मूल्यों का दर्पण –15 मिनट • पी0पी0टी0 के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में मानवीय व संवैधानिक मूल्यों पर संवाद – 15 मिनट • गतिविधि– आओं मूल्यों को पहचानें –20 मिनट • राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में मूल्य आधारित शिक्षा पर पी0पी0टी0 के माध्यम से संवाद – 15 मिनट • गतिविधि – कार्ययोजना निर्माण एवं समेकन – 15 मिनट	टी ब्रे क	• पी0पी0टी0 के माध्यम से प्रश्नोत्तर द्वारा मूल्यों के विकास में संप्रेषण की भूमिका पर चर्चा एवं संवाद– 20 मिनट • गतिविधि – मूल्य अभिनय – 10 मिनट • गतिविधि – मूल्यों की श्रृंखला – 15 मिनट • पी0पी0टी0 के माध्यम से मूल्य और सप्रेषण में सम्बन्ध – 10 मिनट • गतिविधि – सत्य या असत्य – 15 मिनट • पी0पी0टी0 के माध्यम से सकारात्मक/नकारात्मक सम्प्रेषण, अधिगम की भूमिका, सम्प्रेषण की चुनौतियाँ और गतिविधि पर चर्चा– 20 मिनट

सत्र योजना (द्वितीय दिवस)

10:00 से 10:10	प्रथम सत्र (10:10 –11:40)	चाय (11:40 –11:50)	द्वितीय सत्र (11:50 – 1:20)	1:20 से 1:50	तृतीय सत्र (01:50 –03:20)	चाय (03:20 – 03:30)	चतुर्थ स (03:30 –05:00)
प्रार्थना प्रेरणा गीत	• विद्यालयी सन्दर्भ में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने हेतु प्रमुख रणनीतियों पर सामान्य चर्चा–परिचर्चा–15 मिनट • गतिविधि – मूल्यों का पिटारा – 15 मिनट • गतिविधि – नवाचार बैंक – 15 मिनट • गतिविधि – साझी सम्पदा – 15 मिनट • गतिविधि – कार्ययोजना निर्माण – 20 मिनट • समेकन – 10 मिनट	टी ब्रे क	• गतिविधि– बाल अधिकारों की पहचान–15 मिनट • पी0पी0टी0 के माध्यम से बाल अधिकारों पर चर्चा–परिचर्चा –15 मिनट • पी0पी0टी0 के माध्यम से UNCRC में उल्लिखित प्रमुख बाल अधिकारों पर संवाद – 15 मिनट • प्रश्नोत्तर के माध्यम से शिक्षकों की भूमिका पर चर्चा व बाल अधिकारों के सुनिश्चितीकरण में शिक्षक व समाज की भूमिका पर संवाद–20 मिनट • गतिविधि बाल अधिकारों हेतु नारे व पोस्टर निर्माण – 15 मिनट • समेकन – 10 मिनट	भो ज न अ व का श	• सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागियों से पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर विचार मंथन – 10 मिनट • गतिविधि पोल द्वारा 10 पाठ्य सहगामी क्रियाओं में से 6 का चयन – 10 मिनट • पी0पी0टी0 के माध्यम से पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा मूल्यों के निर्माण पर चर्चा –10 मिनट • समूह निर्माण कर कार्ययोजना का निर्माण व प्रस्तुतीकरण–20 मिनट • पी0पी0टी0 द्वारा प्रतिदर्श कार्ययोजनाओं पर	टी ब्रे क	• गतिविधि – चित्रों की पहचान द्वारा सत्र की शुरूआत व पी0पी0टी0 के माध्यम से संवाद – 20 मिनट • सूर्यास्त व सूर्योदय गतिविधि द्वारा अन्तर्विषयक सम्बन्धों मे उपागम द्वारा मूल्यों की समझ बनाना –15 मिनट • पी0पी0टी0 के माध्यम से चर्चा परिचर्चा करते हुए अन्तर्विषयी शिक्षण योजना निर्माण विषय पर सदन में साझा समझ का विकास–20 मिनट • मूल्य विकास पर अन्तर्विषयी प्रतिदर्श शिक्षण योजना का प्रस्तुतीकरण – 15

					संवाद–15 मिनट • रोल प्ले के माध्यम से उचित एवं अनुचित व्यवहार पर गतिविधि – 20 मिनट • समेकन – 05 मिनट		मिनट •दिये गये प्रारूप पर मूल्य आधारित शिक्षण योजना का निर्माण –20 मिनट

सत्र योजना (तृतीय दिवस)

10:00 से 10:10	प्रथम सत्र (10:10 – 11:40)	चाय (11:40 –11:50)	द्वितीय सत्र (11:50 – 1:20)	1:20 से 1:50	तृतीय सत्र (01:50 – 03:20)	चाय (03:20 – 03:30)	चतुर्थ सत्र (03:30 – 05:00)
प्रार्थना प्रेरणा गीत	•प्रतिभागियों द्वारा शिक्षण योजना का प्रस्तुतीकरण	टी ब्रे क	• प्रश्नोत्तर द्वारा सत्र की शुरूआत करते हुए पी0पी0टी0 के माध्यम से विद्यालय प्रबन्धन व इसकी आवश्यकता पर चर्चा–परिचर्चा –10 मिनट • पी0पी0टी0 के माध्यम से विद्यालय प्रबन्धन में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा एवं विद्यालय प्रबन्धन के क्षेत्र व रणनीतियों पर संवाद – 20 मिनट • गतिविधि – अपनी कक्षा को जाने – (SWOC) विश्लेषण – 15 मिनट • गतिविधि – कहानी द्वारा मूल्य आधारित समस्या की पहचान – 10 मिनट • पी0पी0टी0 के माध्यम से कक्षा प्रबन्धन के प्रमुख पहलू, कक्षा प्रबन्धन में संवैधानिक मूल्यों के महत्व, कक्षा प्रबन्धन में मानवीय मूल्यों के महत्व पर चर्चा परिचर्चा – 20 मिनट • गतिविधि – चित्रों के माध्यम से मूल्य अभिव्यक्ति एवं समेकन – 15 मिनट	भो ज न अ व का श	• चित्रों को प्रदर्शित करते हुए प्रश्नोत्तर के माध्यम से पारिवारिक मूल्यों पर चर्चा–परिचर्चा– 10 मिनट • पी0पी0टी0 के माध्यम से मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका पर प्रस्तुतीकरण – 15 मिनट • गतिविधि – परिवारिक मूल्य – 15 मिनट • गतिविधि – मूल्य और मुहावरा – 10 मिनट • पी0पी0टी0 के माध्यम से मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका पर चर्चा – 15 मिनट • गतिविधि – समाज का दर्पण – 15 मिनट • विद्यार्थियों में मूल्य निर्धारण हेतु परिवार एवं समाज के आवश्यक कदम – 10 मिनट	टी ब्रे क	•पी0पी0टी0 के माध्यम से मूल्यों के विकास में ध्यान एवं माइंडफुलनेस के महत्व पर चर्चा –15 मिनट •माइंडफुलनेस द्वारा विद्यार्थियों में आत्म जागरूकता का विकास पर चर्चा –15 मिनट •गतिविधि – माइंडफुल ब्रीदिंग –10 मिनट •गतिविधि – माइंडफुल ईटिंग –10 मिनट • प्रश्नों के माध्यम से जिम्मेदारी के अनुभव पर चर्चा एवं समेकन – 10 मिनट •समापन एवं प्रमाण पत्र वितरण

दिवस – प्रथम

विषय– उद्घाटन सत्र (पंजीकरण एवं मॉड्यूल परिचय)

अवधि – 30 मिनट

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा विद्यार्थियों में मूल्यों के संवर्द्धन हेतु शिक्षकों के लिए मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल **'प्रज्ञा प्रवाह'** का विकास किया गया है। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल में उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों के क्षमता संवर्द्धन हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है–

1. मानवीय मूल्य : एक परिचय
2. संवैधानिक मूल्य एवं मौलिक कर्तव्य
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के परिप्रेक्ष्य मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य
4. मूल्यों के विकास में प्रभावी सम्प्रेषण की भूमिका
5. विद्यालयी सन्दर्भ में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने हेतु प्रमुख रणनीतियाँ
6. बाल अधिकार के सन्दर्भ में शिक्षक एवं समाज का उत्तरदायित्व
7. पाठ्यसहगामी क्रियाओं में विभिन्न मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का समावेशन
8. अन्तर्विषयक सम्बन्धों द्वारा मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का समावेशन (शिक्षण योजना कार्य)
9. प्रतिभागियों द्वारा शिक्षण योजना का प्रस्तुतीकरण
10. विद्यालय एवं कक्षा प्रबन्धन
11. मूल्यों के विकास में परिवार एवं समाज की भूमिका
12. मूल्यों के विकास में ध्यान एवं माइंडफुलनेस का महत्व

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को विद्यार्थियों में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को विद्यालयी परिवेश एवं कक्षा–शिक्षण में विकसित करने हेतु संवेदीकृत करना है।

सुगमकर्ता सभी प्रतिभागी शिक्षकों को प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं नियमों से परिचित कराते हुए दिवसवार सभी सत्रों का संचालन करें। साथ ही प्रत्येक सत्र के साथ मॉड्यूल में दी गयी गतिविधियों का भी सम्पादन करायें। समय–समय पर प्रतिभागी शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों में मूल्य विकास हेतु आवश्यक रणनीतियों एवं कार्ययोजना पर भी चर्चा की जाये। इन गतिविधियों एवं चर्चाओं का उद्देश्य शिक्षकों को न केवल सैद्धान्तिक ज्ञान प्रदान करना है बल्कि उन्हें मूल्यों को अपने व्यवहार और कक्षा शिक्षण में एकीकृत करने का व्यावहारिक अवसर भी प्रदान करना है।

विषय– मानवीय मूल्य : एक परिचय

मूल्य जीवन को दिशा देते हैं और बिना मूल्यों का जीवन एक लक्ष्यहीन नाव के समान है।

अवधि – 80 मिनट

सत्र उद्देश्य – इस सत्र के पश्चात् प्रतिभागी शिक्षक निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी समझ विकसित कर सकेंगे–

- मूल्यों की अवधारणा पर समझ विकसित करना।
- मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना।
- विद्यालयी संदर्भ में मानवीय मूल्यों के महत्व को रेखांकित करना।

आवश्यक सामग्री – पी0पी0टी0, चार्ट पेपर, मार्कर, स्केच, स्टिकी नोट एवं अन्य आवश्यक स्टेशनरी आदि।

सत्र संचालन –

परिचयात्मक गतिविधि – परिचय प्रारम्भ होने से पूर्व सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागियों को यात्रा के दौरान या विगत कुछ दिनों में घटित हुई घटनाओं/व्यवहारों से प्रभावित करने वाले/विचारणीय किसी एक मूल्य पर (02 मिनट) विचार करने को कहा जाएगा–

- विचार करने के उपरान्त सभी प्रतिभागी शिक्षक प्रभावित करने वाले/विचारणीय मूल्यों को दी गयी कागज की स्लिप पर लिखेंगे।
- परिचय के दौरान प्रतिभागी प्रभावित करने वाले/विचारणीय मूल्यों का उल्लेख करते हुए **(घटना/कहानी आदि का वर्णन नहीं करना है**) केवल मूल्य बताते हुए अपना नाम, पद और संस्थान/विद्यालय आदि का विवरण देंगे।
- सत्र संचालन के प्रारम्भ में सुगमकर्ता पेपर स्लिप पर प्राप्त मूल्यों को पढ़ेंगे, साथ ही प्रतिभागी शिक्षकों से मूल्यों के विषय में चर्चा करते हुए कुछ प्रश्न पूछें, जैसे–
  1. मूल्य क्या है?
  2. जीवन में मूल्यों का होना क्यों आवश्यक है?
  3. अपने जीवन के आदर्श व्यक्ति का नाम बताते हुए उसके कौन से गुण से आप प्रभावित हुए और उसे आपने अपने जीवन में किस प्रकार समावेशित किया?

उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर प्रतिभागी द्वारा अपनी नोटबुक पर लिखा जाये। तत्पश्चात् सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागियों के साथ मूल्यों पर चर्चा–परिचर्चा करते हुए आदर्श गुणों को मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाये। साथ ही मूल्य की अवधारणा को पी0पी0टी0 के माध्यम से प्रस्तुतीकरण द्वारा समझाया जाये।

मानवीय मूल्य – मानवीय मूल्य वे आदर्श, गुण, सिद्धांत और संस्कार हैं जो मनुष्य के जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं और उसके आचरण को नैतिक व सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाते हैं। यह वे मानक हैं जो मनुष्य को दूसरों के प्रति संवेदनशील, सहयोगी, न्यायप्रिय, ईमानदार और नैतिक बनाते हैं।

मानवीय मूल्यों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है – व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य।

व्यक्तिगत मूल्य –व्यक्तिगत मूल्य व्यक्ति के स्वयं के आचरण और जीवनशैली से जुड़े होते हैं और उनके चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं। यह व्यक्ति को उचित एवं अनुचित के बीच सही निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत मूल्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे – आत्मसम्मान, ईमानदारी, अनुशासन, करूणा, सहयोग, भाईचारा, आत्मनिर्भरता आदि।

व्यक्तिगत मूल्यों का महत्व –

- ❖ **चरित्र निर्माण में सहायक** – मूल्य व्यक्ति के अच्छे और बुरे व्यवहार का आधार बनते हैं और उसके व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाते हैं।
- ❖ **सही निर्णय क्षमता** – व्यक्तिगत मूल्य हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने एवं उचित विकल्पों का चयन करने में सहायता प्रदान करते हैं।
- ❖ **आत्मसम्मान और आत्मविश्वास** – जब एक व्यक्ति अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीता है तो उसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों ही बढ़ते हैं।
- ❖ **सामाजिक संबंधों में सुधार** – ईमानदारी, करुणा, भाईचारा, सहिष्णुता और सहयोग जैसे मूल्य सामाजिक सम्बन्धों को मजबूत और सार्थक बनाते हैं।
- ❖ **जीवन में संतुलन** – मूल्य हमें लोभ, क्रोध और असत्य से दूर रखते हैं और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करते हैं।
- ❖ **लक्ष्य प्राप्ति में सहायक** – परिश्रम, अनुशासन और आत्मनिर्भरता जैसे मूल्य हमें अपने जीवन के उद्देश्यों तक पहुँचने में सहायता करते हैं।

सामाजिक मूल्य– सामाजिक मूल्य समाज की नींव होते हैं। यह वे आदर्श और मान्यताएँ हैं जो यह निर्धारित करता है कि समाज में क्या स्वीकार्य है अथवा क्या नहीं। यह लोगों के बीच आपसी सहयोग, सद्भावना और संतुलन बनाये रखते हैं। ये सभी मूल्य व्यक्ति को समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का बोध कराते हैं और सामूहिक जीवन को सार्थक बनाते हैं। सामाजिक मूल्य समाज में सौहार्द्र और सहयोग को बढ़ाते हुये सामंजस्य और एकता स्थापित करते हैं।

सामाजिक मूल्यों का महत्व –

- ❖ **सद्भाव और भाईचारा –** सामाजिक मूल्य लोगों को एक–दूसरे से जोड़ते हुए समाज में आपसी प्रेम, सहयोग और भाईचारे की भावना को मजबूत बनाते हैं।
- ❖ **समानता और न्याय –** यह मूल्य सभी को समान अवसर देने और न्यायपूर्ण व्यवहार करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं जिससे समाज में भेदभाव और असमानता को कम किया जा सके।
- ❖ **सहयोग और परस्पर निर्भरता –** यह मूल्य केवल व्यक्ति को आत्मकेन्द्रित न होकर दूसरों के साथ मिलकर चलने की प्रेरणा देते हैं जिससे समाज में सद्भाव, स्थिरता एवं प्रगति सम्भव हो सके।

- ❖ **संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण –** ये मूल्य समाज की परंपराओं, संस्कृति और रीति–रिवाजों को संरक्षित करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित करते हैं।
- ❖ **नैतिक आचरण –** सामाजिक मूल्यों से व्यक्ति ईमानदारी, जिम्मेदारी, अनुशासन और सदाचार का पालन करता है जिससे समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहती है।
- ❖ **सामाजिक प्रगति और विकास–** जब समाज में आपसी सहयोग और नैतिकता की भावना प्रबल होती है तब शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी विकास तेजी से होता है।

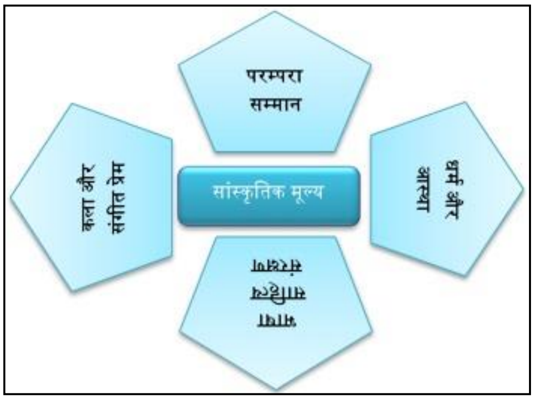

सांस्कृतिक मूल्य – सांस्कृतिक मूल्य हमारी परंपराओं, रीति–रिवाजों और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े होते हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति का संवर्द्धन करते हुए उनकी पहचान बनाये रखने में मदद करते हैं।

सांस्कृतिक मूल्यों का महत्व –

- ❖ **पहचान का आधार –** सांस्कृतिक मूल्य हमें हमारी परंपराओं, भाषा, कला, संगीत और रीति–रिवाजों से जोड़ते हैं जिससे हमारी विशिष्ट पहचान बनी रहती है।
- ❖ **समाज में एकता –** ये मूल्य लोगों को एक सूत्र में बाँधते हैं और भाईचारा, सहयोग तथा परस्पर सम्मान को प्रोत्साहित करते हैं।
- ❖ **नैतिक मार्गदर्शन –** संस्कृति से जुड़े मूल्य हमें अच्छाई–बुराई के बीच भेद करना सिखाते हैं और जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
- ❖ **परम्परा और धरोहर का संरक्षण –** सांस्कृतिक मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं और हमारी धरोहर को सुरक्षित रखते हैं।
- ❖ **आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन –** धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक संतुलन प्रदान करते हैं।
- ❖ **वैश्विक स्तर पर पहचान –** सांस्कृतिक मूल्य किसी राष्ट्र की विशिष्टता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं।

आध्यात्मिक मूल्य – आध्यात्मिक मूल्य वे मूल्य हैं जो मनुष्य को आंतरिक शांति, सत्य, प्रेम, दया, करुणा, आत्मज्ञान और सार्वभौमिक सत्ता से जोड़ते हैं। ये सभी मूल्य भौतिक सुख–सुविधाओं से परे जाकर व्यक्ति को आत्मिक विकास, संतोष और जीवन के गहरे उद्देश्य की ओर प्रेरित करते हैं।

आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व–

- ❖ **आत्मिक शांति और संतोष–** आध्यात्मिक मूल्य व्यक्ति को मानसिक तनाव, लोभ और भय से मुक्त कर आंतरिक शांति प्रदान करते हैं।
- ❖ **नैतिक और सदाचारी जीवन–** ये मूल्य व्यक्ति को सही और गलत के बीच भेद करना सिखाते हैं और नैतिकता से जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं।
- ❖ **मानवता और करुणा का विकास–** आध्यात्मिक मूल्यों से मनुष्य में दया, करुणा, सहानुभूति और भाईचारे की भावना प्रबल होती है।

- ❖ **सकारात्मक सोच और संतुलन–** यह मूल्य जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की शक्ति प्रदान करते हैं।
- ❖ **आत्मज्ञान और आत्मविश्वास–** आध्यात्मिक साधनाओं से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है।
- ❖ **जीवन के उद्देश्य की पहचान–** यह मनुष्य को केवल भौतिक सफलता तक सीमित न रखकर जीवन के उच्च उद्देश्य और सत्य की खोज की ओर प्रेरित करते हैं।

मानवीय मूल्य हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। यह न केवल व्यक्ति को श्रेष्ठ एवं गुणवान बनाते हैं बल्कि उसे सार्थक एवं सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। अतः एक शिक्षक का दायित्व है कि वह विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों का विकास करे और उन्हें इन मूल्यों के साथ जीवन जीने हेतु प्रोत्साहित भी करे।

गतिविधि 1 – मानवीय मूल्यों का मानचित्रण

उद्देश्य –

- ➢ प्रतिभागियों को व्यक्तिगत मूल्यों की पहचान करने में सहायता करना।
- ➢ एक–दूसरे के मूल्यों को जानने और सम्मान करने के लिए मंच प्रदान करना।

प्रक्रिया – सुगमकर्ता प्रतिभागी शिक्षकों को 5 समूहों में विभाजित करें तथा प्रत्येक समूह को पूर्व में तैयार की गयी मूल्यों की सूची में से किन्हीं तीन मूल्यों को चुनने को कहें। तत्पश्चात् प्रत्येक समूह अपने द्वारा चुने गये तीन मूल्यों के बारे में चार्ट पेपर पर लिखे। (**मूल्यों को दर्शाने हेतु प्रतिभागी समूह अपनी रचनात्मकता का प्रयोग कर सकते हैं।**)

चर्चा परिचर्चा – सुगमकर्ता द्वारा प्रत्येक समूह से बारी–बारी से पूछा जाये कि उन्होंने इन मूल्यों को क्यों चुना और वे अपने जीवन में इन्हें कैसे लागू करते हैं। समय की उपलब्धता के अनुसार प्रतिभागियों से प्रस्तुतीकरण भी कराया जा सकता है। यह गतिविधि प्रतिभागियों को मूल्यों को समझने और उन्हें आत्मसात करने में सहायता प्रदान करेगी।

गतिविधि 2 – मूल्यों को समझें और पहचानें।

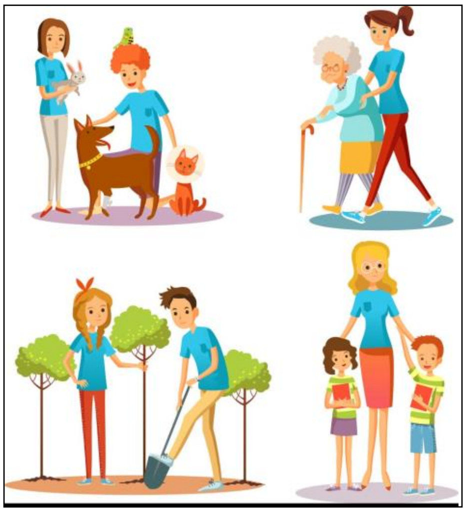

उद्देश्य – प्रतिभागियों में मूल्यों की समझ विकसित करना।

प्रक्रिया – सुगमकर्ता प्रतिभागियों को पाँच समूहों में विभाजित करें तथा प्रत्येक समूह को मूल्य से सम्बन्धित एक चित्र दें। तत्पश्चात् प्रत्येक समूह को उस चित्र में प्रदर्शित हो रहे मूल्य को पहचानने हेतु निर्देशित करें। प्रत्येक समूह चित्र में प्रदर्शित हो रहे मूल्य पर आधारित गीत/कविता/कहानी आदि सुनाये।

चर्चा–परिचर्चा – सुगमकर्ता चित्रों में प्रदर्शित मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा करें–

- ➢ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु मूल्य विकास की आवश्यकता।
- ➢ कक्षा शिक्षण के दौरान मूल्य विकास हेतु रणनीतियाँ।

सुगमकर्ता एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा बताये गये मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में इनकी उपयोगिता को समझाये।

विद्यार्थियों में मूल्य विकास हेतु सुझावात्मक गतिविधि

गतिविधि – आज मैंने सीखा

उद्देश्य –

- ➢ विद्यार्थियों में आत्मचिन्तन का विकास करना।
- ➢ विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में किये जा रहे क्रिया–कलापों, व्यवहार/घटनाक्रम से जुड़े मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूक करना।

आवश्यक सामग्री – नोट बुक, पेन आदि।

प्रक्रिया –

- विद्यार्थियों को **'आज मैंने सीखा'** डायरी बनाने के लिए प्रोत्साहित करें।
- विद्यार्थी उस डायरी में हर दिन एक ऐसी बात लिखें जो उन्होंने किसी मूल्य के बारे में सीखी है।
- **'आज मैंने सीखा'** नामक डायरी में विद्यार्थी मानवीय मूल्यों से सम्बन्धित किसी एक बात का उल्लेख दिनांकवार करेंगे।
- डायरी में लिखी जाने वाली बातें घर से विद्यालय तक की यात्रा, विद्यालय में अध्ययन, खेल के दौरान व घर–परिवार से सम्बन्धित हो सकती हैं।
- शिक्षक माह के अन्त में अच्छी डायरियों की चर्चा करें तथा सम्बन्धित विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें।
- समय–समय पर **'आज मैंने सीखा'** डायरी के बारे में चर्चा–परिचर्चा करने को कहा जाये।

नोट/विशेष – प्रशिक्षण के दौरान सुगमकर्ता द्वारा सत्र/दिवस के अन्त में एक पेपर पर कोई एक मूल्य जो प्रशिक्षणार्थी ने आज सीखा, जमा करायें।

विषय– संवैधानिक मूल्य एवं मौलिक कर्तव्य

हमने संविधान में अपनी परम्परा, संस्कृति और महान आदर्शों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है।
अवधि–90 मिनट

सत्र उद्देश्य – इस सत्र के पश्चात् प्रतिभागी शिक्षक निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी समझ विकसित कर सकेंगे–

- संवैधानिक मूल्यों पर समझ विकसित करना।
- संवैधानिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाना।
- विद्यालयी सन्दर्भ में संवैधानिक मूल्यों के महत्व को स्पष्ट करते हुए मौलिक कर्तव्यों से परिचित कराना।
- विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने हेतु गतिविधियों से परिचित कराना।

आवश्यक सामग्री – पी0पी0टी0, अलग–अलग रंगों के चार्ट पेपर, मार्कर, स्केचपेन एवं अन्य आवश्यक स्टेशनरी आदि।

सत्र संचालन – सुगमकर्ता द्वारा सत्र का प्रारम्भ '**मेरा देश मेरे नियम**' नामक गतिविधि के साथ किया जाये। सर्वप्रथम सुगमकर्ता द्वारा सभी प्रतिभागी शिक्षकों को सम्प्रभुता का अर्थ स्पष्ट किया जाये –

> **किसी देश की सम्प्रभुता का अर्थ है – उसकी सर्वोच्च शक्ति और स्वतन्त्रता। सम्प्रभुता के अर्न्तगत देश को अपने आन्तरिक मामलों को नियंत्रित करने और अन्य बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने की शक्ति प्राप्त होती है।**

तत्पश्चात् सुगमकर्ता सभी प्रतिभागियों को पाँच समूहों में विभाजित करते हुए बताये कि आप सभी पाँच समूह सम्प्रभु समूह हैं। प्रत्येक समूह को अब दिये गये चार्ट पेपर पर –

1. एक काल्पनिक देश का नाम लिखना है।
2. उस देश के काल्पनिक ध्वज का निर्माण करना है।
3. उस देश का राष्ट्रीय प्रतीक निर्धारित करना है।
4. उस देश के संवैधानिक मूल्यों का निर्धारण करना है।

सुगमकर्ता प्रत्येक समूह द्वारा निर्धारित अलग–अलग संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा–परिचर्चा करते हुए पी0पी0टी0 के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों के विकास, स्रोत एवं उद्देश्यों आदि पर चर्चा करते हुए सत्र को दिशा प्रदान करें।

संवैधानिक मूल्य – संवैधानिक मूल्य किसी देश के संविधान में उल्लिखित ऐसे आदर्श एवं सिद्धांत हैं जिनका उद्देश्य अपने नागरिकों का मार्गदर्शन करते हुए, राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करना है। वर्तमान समय में एक न्यायपूर्ण, समृद्ध, समावेशी और नैतिक समाज की स्थापना हेतु प्रत्येक बच्चे में संवैधानिक मूल्यों को विकसित करना, देश की अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। भारतीय संविधान एक कानूनी दस्तावेज होने के साथ–साथ एक नैतिक मार्गदर्शक भी है। इसमें निहित मूल्य जैसे – न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, लोकतंत्र, सम्प्रभुता, धर्मनिरपेक्षता और बन्धुत्व समाज के सभी वर्गों को एक समान अधिकार और गरिमा प्रदान करते हैं।

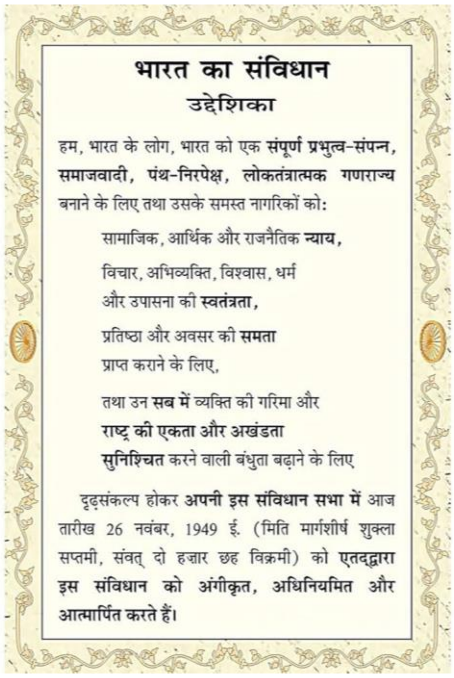

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और **राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित** करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

संवैधानिक मूल्यों के स्रोत–

- **संविधान की प्रस्तावना –** न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, बंधुता, सम्प्रभुता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता।
- **मूल अधिकार –** समानता का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार (जीवन और स्वतन्त्रता की रक्षा), धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
- **मूल कर्तव्य –** संविधान का सम्मान, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा आदि।
- **नीति–निर्देशक तत्व –** समाजवाद, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता।

संवैधानिक मूल्यों का महत्व

- **लोकतंत्र की आत्मा –** संवैधानिक मूल्य लोकतंत्र को सही दिशा प्रदान करते हैं। यह नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करके शासन को जनता के लिए और जनता द्वारा बनाए रखते हैं।
- **न्याय एवं समानता की गारंटी –** संवैधानिक मूल्य प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, भाषा या क्षेत्र के भेदभाव से मुक्त कर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं।
- **एकता और अखंडता का संरक्षण –** भारत विविधताओं का देश है। संवैधानिक मूल्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना को मजबूत बनाते हैं जिससे 'विविधता में एकता' संभव होती है।
- **मानव गरिमा और अधिकारों की रक्षा –** संविधान प्रत्येक नागरिक की गरिमा और स्वतन्त्रता की रक्षा करता है तथा मौलिक अधिकारों के माध्यम से उसे सुरक्षित जीवन प्रदान करता है।
- **सामाजिक सुधार और परिवर्तन का साधन –** संवैधानिक मूल्य असमानता, छुआछूत, भेदभाव और शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
- **कर्तव्यों का मार्गदर्शन –** संविधान केवल अधिकार नहीं देता बल्कि नागरिकों को कर्तव्य पालन की प्रेरणा भी देता है जिससे एक जिम्मेदार, अनुशासित और जागरूक नागरिकता का निर्माण संभव होता है।

- **राष्ट्रीय प्रगति का आधार –** जब नागरिक संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हैं तो समाज में सहयोग, अनुशासन और परस्पर विश्वास बढ़ता है, जिससे राष्ट्र की समग्र प्रगति एवं विकास सम्भव होता है।

संविधान हमें न केवल अधिकारों के प्रति जागरूक करता है बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने हेतु कर्तव्यों को भी सौंपता है जिससे एक बेहतर राष्ट्र का निमार्ण सम्भव हो सके।

मूल कर्तव्य – संविधान के **भाग 4 (क) में अनुच्छेद 51 क** के अन्तर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह –

(1) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।

(2) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।

(3) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।

(4) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।

(5) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

(6) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे।

(7) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।

(8) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।

(9) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।

(10) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(11) माता–पिता/अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे 6–14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यालय भेंजे।

संवैधानिक मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका – संवैधानिक मूल्य हमारे राष्ट्र की नींव हैं। ये सभी मूल्य एक लोकतांत्रिक एवं प्रगतिशील समाज की स्थापना में अहम भूमिका निभाते हैं और समाज में न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, और भाईचारे की भावना को स्थापित करते है। विद्यार्थियों में इन मूल्यों को विकसित करने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक का दायित्व है कि संवैधानिक मूल्यों से जुड़े विषयों पर नियमित चर्चाएँ आयोजित करें। विद्यार्थियों को सामुदायिक सेवा की गतिविधियों में शामिल करें। शिक्षक स्वयं को रोल मॉडल के रूप में स्थापित करके विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श स्थापित करें, जैसे – कक्षा में सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना, विद्यार्थियों को अपनी राय/मत रखने का समान अवसर उपलब्ध कराना, उनके विचारों का सम्मान करना और उचित एवं न्यायपूर्ण निर्णय लेना आदि।

गतिविधि 1 – संवैधानिक मूल्यों का माइंड मैप

उद्देश्य – संवैधानिक मूल्यों की समझ विकसित करना।

प्रक्रिया– सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागी शिक्षकों को पाँच समूहों में विभाजित किया जाये तथा प्रत्येक समूह को नीचे प्रदर्शित किसी एक संवैधानिक मूल्य जैसे समानता, लोकतंत्र, न्याय, स्वतन्त्रता एवं बन्धुत्व पर अपने विचार चार्ट पेपर पर लिखने हेतु कहा जाये। साथ ही इनसे जुड़े संविधान में कौन–कौन से अधिकार दिये गये है, को स्पष्ट किया जाये।

समानता

लोकतंत्र

बंधुत्व

न्याय

स्वतंत्रता

चर्चा–परिचर्चा – सुगमकर्ता द्वारा बारी–बारी से प्रतिभागी शिक्षकों से पूछा जाये कि वे इन मूल्यों को विद्यार्थियों में विकसित करने हेतु कौन–कौन सी रणनीतियों को अपनाते हैं। समय की उपलब्धतानुसार प्रतिभागियों से प्रस्तुतीकरण कराया जाये। यह गतिविधि प्रतिभागियों को संवैधानिक मूल्यों को समझने एवं विद्यार्थी जीवन में इनके महत्व को समझने में सहायता प्रदान करेगी।

गतिविधि 2 – बूझो तो जाने "वर्ग पहेली"

उद्देश्य – प्रतिभागियों को विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने हेतु वर्ग पहेली नामक गतिविधि से परिचित कराना।

स्व	तं	प	र	ध
स	मा	न	ता	र्म
लो	क	तं	त्र	नि
बं	न्या	य	स	र
धु	तं	ता	द	पे
त्व	म	अ	र	क्ष
स्व	तं	त्र	ता	ता

प्रक्रिया – सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागियों को वर्ग पहेली से सम्बन्धित चित्र देते हुए उनमें प्रदर्शित संवैधानिक मूल्यों को ढूँढने हेतु कहा जाये। साथ ही यह मूल्य भारतीय संविधान में कौन–सा अधिकार नागरिकों को देता है, को बताने हेतु कहे। इस हेतु सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागियों से निम्न प्रश्न पूछें–

- यह वह मूल्य है जो कहता है कि सभी लोग कानून की दृष्टि में एक समान हैं।
- यह वह मूल्य है जो हमें अपने विचार/राय व्यक्त करने, कहीं भी आने–जाने और अपनी पसंद का कोई भी कार्य करने की आजादी देता है।
- यह वह मूल्य है जो कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए और सरकार का कोई एक विशेष धर्म नहीं होता।
- यह वह मूल्य है जो हमें बताता है कि हमें एक–दूसरे के साथ भाईचारे और एकता के साथ रहना चाहिए।
- यह वह मूल्य है जो समाज के सभी लोगों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करता है।
- यह वह मूल्य है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अपनी सरकार बनाती है।

चर्चा–परिचर्चा – सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागी शिक्षक को संवैधानिक मूल्यों की महत्ता को रेखांकित करते हुए विद्यार्थियों के जीवन में इन मूल्यों के महत्व पर चर्चा की जाये। यह गतिविधि प्रतिभागी शिक्षकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता विकसित करने तथा उन्हें विद्यार्थियों में इन मूल्यों को विकसित करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

विद्यार्थियों में मूल्य विकास हेतु सुझावात्मक गतिविधि

गतिविधि 3 – मेरा देश–मेरे नियम

उद्देश्य –

- विद्यार्थियों में सृजनात्मक चिन्तन क्षमता का विकास करना।
- कल्पना को विचारों में व्यक्त करने में सक्षम बनाना।
- संवैधानिक मूल्यों के विकास पर समझ विकसित करना।

आवश्यक सामग्री – पेन, पेपर, चार्ट पेपर, कलर, कलरशीट, रिबन एवं अन्य स्टेशनरी।

प्रक्रिया –

- सभी विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया जाये।
- शिक्षक सभी विद्यार्थियों को सम्प्रभुता का अर्थ स्पष्ट करे – **किसी देश की सम्प्रभुता का अर्थ है – उसकी सर्वोच्च शक्ति और स्वतन्त्रता। सम्प्रभुता के अर्न्तगत देश को अपने आन्तरिक मामलों को नियंत्रित करने और अन्य बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने की शक्ति प्राप्त होती है।**
- मान लीजिए कि आप सभी संप्रभु समूह हैं।

  1. प्रत्येक समूह को अब – एक काल्पनिक देश का नाम तय करना है।
  2. उस देश के काल्पनिक ध्वज का निर्माण करना है।
  3. उस देश का राष्ट्रीय प्रतीक निर्धारित करना है।
  4. उस देश के संवैधानिक मूल्यों का निर्धारण करना है।
- प्रतिभागियों को समूह कार्य के उपरान्त प्रस्तुतीकरण करने को कहा जाये।

चर्चा परिचर्चा – अलग–अलग समूहों द्वारा निर्धारित किये गये अलग–अलग संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा करते हुए संवैधानिक मूल्यों के विकास, स्रोत एवं उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाये।

(नोट – सुगमकर्ता प्रतिभागियों को अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति समझ विकसित करने के उद्देश्य से उपरोक्त गतिविधियों को आयोजित कराने का सुझाव देंगे।)

विषय– राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के परिप्रेक्ष्य में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य

The aim of education is the knowledge, not of facts, but of values -

--William S.Burroughs

अवधि– 80 मिनट

सत्र उद्देश्य– इस सत्र के पश्चात् प्रतिभागी शिक्षक निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी समझ विकसित कर सकेंगे–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 द्वारा प्रतिस्थापित मूल्य आधारित शिक्षा की समझ विकसित करना।
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (स्कूल शिक्षा) 2023 में निहित संवैधानिक व मानवीय मूल्यों की अवधारणा पर समझ विकसित करना।
- विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों में मूल्यों के संवर्द्धन हेतु प्रतिभागी शिक्षकों को कार्ययोजना का निर्माण करने में सक्षम बनाना।

आवश्यक सामग्री– पी0पी0टी0, चार्ट पेपर, मार्कर, स्केच, स्टिकी नोट एवं अन्य आवश्यक स्टेशनरी आदि।

सत्र संचालन– (सत्र भाग 1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के परिप्रेक्ष्य में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य

मूल्यों का दर्पण – सुगमकर्ता दिये गये लिंक के माध्यम से वीडियो को दिखाकर प्रतिभागी शिक्षकों से निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए सत्र को प्रारम्भ करें –

लिंक – **https://youtube.com/watch?v=8E25ndi_7xc&feature=shared**

चर्चा बिन्दु –

- उक्त वीडियो को देखने के दौरान आपने कौन–कौन से मूल्य देखे ?
- अभय के अन्दर कौन–कौन से मूल्य हैं ?
- प्रधानाचार्या में कौन से संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य हैं ?
- वीडियो में साहिल ने प्रधानाचार्या से परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय की माँग की, यदि उनकी जगह आप प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या होते, तो क्या करते ?
- भयमुक्त और सकारात्मक वातावरण मूल्यों के विकास में किस प्रकार सहायक हो सकता है ?

सुगमकर्ता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा परिचर्चा करे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के परिप्रेक्ष्य में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य–

सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागी शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 में प्रतिस्थापित मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा की जाए और प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को बोर्ड पर अंकित किया जाये। सुगमकर्ता द्वारा प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 में उल्लिखित संवैधानिक और मानवीय मूल्य के संदर्भ को स्पष्ट करते हुए पी0पी0टी0 के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया जाये।

संविधान की प्रस्तावना – भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के मूलभूत उद्देश्यों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों को रेखांकित करती है। यह भारत को एक सम्प्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषित करती है और सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व सुनिश्चित करने का संकल्प लेती है। शिक्षा इन्हीं मूल्यों को नागरिकों के व्यवहार में परिलक्षित करने का माध्यम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 मानवीय, संवैधानिक एवं नैतिक मूल्यों को प्रत्येक स्तर पर विद्यालयी पाठ्यक्रम मे समावेशित करने पर जोर देती है। साथ ही शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में समानता, स्वतन्त्रता, भाईचारा, राष्ट्रीय एकता, सत्य, शांति, प्रेम, अहिंसा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मानवीय, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने की बात कहती है। इन मूल्यों को विकसित करने के

लिए प्राचीन भारतीय ज्ञान, स्थानीय संस्कृति और परम्पराओं के साथ–साथ पर्यावरण शिक्षा और सामुदायिक सेवाओं को भी शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 में उल्लिखित मानवीय मूल्य

- **सत्य और ईमानदारी** – शिक्षा का आधार सत्य और नैतिकता।
- **अहिंसा और करुणा** – हिंसा व भेदभाव से मुक्त विद्यालयी वातावरण।
- **सहानुभूति और सहयोग** – सहकारी अधिगम, समूह कार्य और आपसी सहयोग एवं सहायता।
- **कर्तव्यनिष्ठा और जिम्मेदारी** – विद्यार्थियों को सामाजिक व पर्यावरणीय जिम्मेदारी का बोध।
- **वसुधैव कुटुम्बकम** – केवल भारत ही नहीं वरन् सम्पूर्ण मानवता के प्रति जिम्मेदारी।
- **संवेदनशीलता (पर्यावरण)** – सतत् विकास और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का विकास।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित संवैधानिक मूल्य–

- **लोकतांत्रिक दृष्टिकोण** – समस्त विद्यार्थियों की भागीदारी, चर्चा व संवाद आधारित शिक्षण।
- **समानता और समावेशन** – लैंगिक समानता, समाज के वंचित वर्गों एवं दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा के विशेष प्रावधान।
- **न्याय** – अवसरों में समानता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करना।
- **बंधुत्व और एकता** – भारत की विविधता का सम्मान और राष्ट्रीय एकता पर बल।
- **पंथनिरपेक्षता** – सभी धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति सम्मान की भावना।
- **वैज्ञानिक दृष्टिकोण** – तार्किक एवं आलोचनात्मक सोच, प्रश्न पूछने और नवाचार की स्वतन्त्रता।

व्यावहारिक रूप में क्रियान्वयन –

- **अनुभवात्मक अधिगम** – परियोजना, सामुदायिक सेवा, सहयोगात्मक गतिविधियाँ।
- **कला, खेल और जीवन** – कौशल आधारित शिक्षा, बच्चों का भावनात्मक एवं नैतिक विकास।
- **भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश** – संस्कृति, साहित्य, नैतिक कथाओं और स्थानीय भाषाओं से मूल्य शिक्षा।
- **21वीं सदी के कौशल एवं मानवीय मूल्यों का संतुलन –**

क्र0सं0	21वीं सदी का कौशल	सम्बद्ध मानवीय मूल्य	संतुलन
1	समालोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कौशल	जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा	सोच–समझ कर निर्णय लेना जो नैतिक और न्यायपूर्ण हो।
2	सृजनात्मकता कौशल	करुणा, स्थिरता	पर्यावरण और समाज के कल्याण हेतु नए विचारों का प्रयोग।
3	सहकारिता कौशल	सहयोग, समानता	समूह कार्य में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण एवं सभी की भागीदारी।
4	सम्प्रेषण कौशल	सम्मान, सहानुभूति	विचार व्यक्त करते समय दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखना।

5	सूचना एवं साक्षरता कौशल	सत्य, ईमानदारी	विश्वसनीय और सही जानकारी का उपयोग।
6	मीडिया साक्षरता कौशल	न्याय, जिम्मेदारी	मीडिया के उपयोग में निष्पक्षता और नैतिकता का उपयोग।
7	तकनीकी साक्षरता कौशल	डिजिटल नैतिकता	तकनीकी का जिम्मेदारीपूर्ण व सुरक्षित उपयोग।
8	लचीलापन एवं अनुकूलनशीलता कौशल	धैर्य, सहिष्णुता	बदलती परिस्थितियों में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना।
9	नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व कौशल	सेवा–भावना, न्याय	दूसरों को प्रेरित करने व समाजहित में नेतृत्व कार्य।
10	पहल एवं आत्म निर्देशन कौशल	साहस, करुणा	समाज और मानवता के लिए नई पहल करना।
11	उत्पादकता एवं जवाबदेही कौशल	अनुशासन, ईमानदारी	समय और संसाधनों के सदुपयोग द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य।
12	सामाजिक एवं अंतर सांस्कृतिक संबंध कौशल	बंधुत्व, सहिष्णुता	विविधताओं का सम्मान करते हुए सहयोगपूर्ण जीवन।

इस प्रकार 21 वीं सदी के विभिन्न कौशल और मानवीय मूल्य एक–दूसरे के पूरक हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा दोनों के द्वारा ही यह सुनिश्चित किया जाता हैं कि शिक्षा केवल ज्ञान व रोजगार तक ही सीमित न होकर मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो।

गतिविधि 1 – आओ मूल्यों को पहचानें

उद्देश्य – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों की पहचान कराना।

प्रक्रिया – सुगमकर्ता प्रतिभागी शिक्षकों को पाँच समूह में विभाजित करे। तत्पश्चात् पूर्व में तैयार मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों (वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, न्याय, समानता और समावेशन, बंधुत्व और एकता, सत्य और ईमानदारी, अहिंसा और करुणा, सहानुभूति और सहयोग, कर्तव्यनिष्ठा और जिम्मेदारी, पर्यावरण संरक्षण) से संबंधित पर्ची बना ले। प्रत्येक समूह को इनमें से एक पर्ची चयन करने को कहा जाये। सुगमकर्ता द्वारा प्रत्येक समूह को चयनित पर्ची में लिखित मूल्य पर आधारित लघु नाटिका (Skit) (2 से 3 मिनट) का तैयार करने हेतु कहा जाये। समय की उपलब्धता के अनुसार प्रतिभागियों से प्रस्तुतीकरण भी कराया जाये।

चर्चा–परिचर्चा – सुगमकर्ता द्वारा शेष प्रतिभागी शिक्षकों से समूह द्वारा लघु नाटिका के प्रस्तुतीकरण में प्रदर्शित मूल्य को पहचानने के लिए कहा जाये। मूल्य को पहचानने के उपरांत सुगमकर्ता प्रतिभागी समूह से निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा–परिचर्चा करे।

- आपके जीवन में मानवीय मूल्यों का क्या महत्व है?
- क्या आपने इन मूल्यों को अपने जीवन में समावेशित किया है?
- यदि आपको विद्यार्थियों में इन मूल्यों का विकास करना हो, तो किस प्रकार करेंगे?

सुगमकर्ता प्रतिभागी शिक्षकों में विभिन्न गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों की समझ तथा उनके प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करेंगे।

सत्र भाग (2) – राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2023 के परिप्रेक्ष्य में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य

If we want our children to value education then we must show our appreciation for knowledge.

-- Brad Sherman

सुगमकर्ता अपनी प्रस्तुतीकरण में अपनी आवश्यकतानुसार निम्न वीडियो लिंक के माध्यम से` वीडियो दिखाकर प्रतिभागी शिक्षकों से चर्चा करते हुए सत्र को प्रारम्भ करें।

लिंक –

- **https://youtu.be/Gs64dFCTMtE?si=t28QxMA7EMAAq24l**
- **https://youtu.be/p_Cc3ytZoC0?si=uDzS67hrwXgK3q9Y**

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (स्कूल शिक्षा) 2023 में मूल्य आधारित शिक्षा –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए तैयार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (स्कूली शिक्षा) 2023 एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को न केवल ज्ञान प्रदान करना है बल्कि उन्हें संवैधानिक मूल्यों (न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, बंधुत्व) और मानवीय मूल्यों (सत्य, अहिंसा, करुणा, सहानुभूति, सेवा) से परिपूर्ण नागरिक बनाना है। साथ ही विद्यार्थियों में भारतीय संविधान एवं मूलभूत कर्तव्यों के बारे में समझ विकसित कर, उन्हें जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए सक्षम बनाना है। ये सभी मूल्य विद्यार्थियों को स्थानीय और राष्ट्रीय धरोहरों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक पहचान मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (स्कूल शिक्षा) 2023 में निहित मूल्य – राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (स्कूल शिक्षा) – 2023 पाठ्यक्रम को पाँच प्रमुख शैक्षिक लक्ष्यों के आधार पर विस्तारित करता है–

- तार्किक चिंतन और स्वतंत्र सोच
- स्वास्थ्य और कल्याण
- लोकतांत्रिक और सामुदायिक भागीदारी
- आर्थिक भागीदारी
- सांस्कृतिक एवं सामाजिक भागीदारी

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (स्कूल शिक्षा) – 2023 में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों पर आधारित मुख्य बिंदुः

- **संवैधानिक समझ और कर्तव्यों पर चर्चा –** राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (स्कूल शिक्षा) – 2023 विद्यार्थियों में भारतीय संविधान की समझ विकसित करने और नागरिकों के रूप में उनके संवैधानिक कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- **नैतिकता और वैश्विक नागरिकता का समावेश –** इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतिक आचरण, सहानुभूति और वैश्विक नागरिकता जैसे मूल्यों को विकसित करना है जिससे वह एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बन सके।
- **जीवन कौशल और समग्र विकास –** 21वीं सदी के विभिन्न कौशलों को शिक्षा के साथ जोड़कर, विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है जिससे उनमें शैक्षिक ज्ञान व समझ के साथ–साथ नैतिक और सामाजिक मूल्यों की समझ विकसित हो सके।
- **वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग –** राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (स्कूल शिक्षा) – 2023 का उद्देश्य विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों के सैद्धांतिक ज्ञान को समझने के साथ–साथ उन्हें वास्तविक जीवन की जटिलताओं के रूप में प्रयोग करने में सक्षम बनाना है।
- **शिक्षण सामग्री का विकास –** राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (स्कूल शिक्षा) – 2023 के अनुसार, पाठ्यक्रम और आकर्षक शिक्षण सामग्री को इस प्रकार विकसित किया जाएगा कि वह संवैधानिक मूल्यों और कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से एकीकृत कर सके।

सन्दर्भदाता द्वारा पाठ्यवस्तु की समझ विकसित करने हेतु गतिविधि का आयोजन किया जाये।

गतिविधि 2 – 'आओ मिलकर योजना बनाये'

उद्देश्य – विद्यार्थियों में विभिन्न मूल्यों के विकास हेतु कार्ययोजना का निर्माण कराना।
गतिविधि पूर्व तैयारी – सुगमकर्ता निम्नांकित संवैधानिक व मानवीय मूल्यों से संबंधित पर्ची बना ले।
मानवीय मूल्य – सत्य और ईमानदारी, सहानुभूति और सहयोग, कर्तव्यनिष्ठा और जिम्मेदारी, अहिंसा और करुणा एवं पर्यावरण संरक्षण।
संवैधानिक मूल्य – लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, न्याय, बंधुत्व और एकता, समानता और समावेशन, एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
प्रक्रिया – सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागी शिक्षकों को पाँच समूह में विभाजित किया जाये। प्रत्येक समूह से प्रतिभागियों को एक पर्ची का चयन करने को कहा जाये। प्रत्येक समूह द्वारा चयनित पर्ची में लिखित मूल्य को विद्यार्थियों मे विकसित करने हेतु एक कार्ययोजना का निर्माण कराया जाये। सुगमकर्ता प्रत्येक समूह को उसके द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना को अपने पास जमा करायेगा एवं समय की उपलब्धता के अनुसार समूह से प्रस्तुतीकरण करने को कहा जा सकता है।
चर्चा–परिचर्चा – सुगमकर्ता प्रतिभागी शिक्षकों से प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करे। सुगमकर्ता प्रतिभागी शिक्षकों में विभिन्न गतिविधियों व विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में उल्लिखित मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों की समझ व उनके प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करते हुए सत्र का समेकन करे।

नोट – प्रतिभागियों द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्ययोजना बनाई जा सकती है –

1. **सांस्कृतिक महोत्सव**
2. **कक्षा का संचालन**
3. **प्रार्थना सभा**
4. **समुदाय सहभागिता कार्यक्रम**
5. **शिक्षक अभिभावक बैठक**
6. **परियोजना कार्य**
7. **राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन**

विषय–मूल्यों के विकास में प्रभावी संप्रेषण की भूमिका

शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य यह है कि वह युवा पीढ़ी के मन और हृदय में मूल्यों का अंकुरण करे।
–डॉ0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम

अवधि– 90 मिनट

सत्र उद्देश्य– इस सत्र के पश्चात् प्रतिभागी शिक्षक निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी समझ विकसित कर सकेंगे–

- मूल्य एवं संप्रेषण के परस्पर संबंध की समझ विकसित करना।
- मूल्यों के विकास में संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों के प्रयोग की समझ विकसित करना।
- संस्कृति, परंपरा और वास्तविक जीवन के उदाहरण के आधार पर मूल्य शिक्षा को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना।
- मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को संप्रेषण के माध्यम से प्रसारित करने की क्षमता विकसित करना।

आवश्यक सामग्री–पी0पी0टी0, चार्ट पेपर, स्टिकी नोट, स्केच पेन, वैक्स कलर, स्केच पेन, पेन्सिल, मार्कर एवं अन्य स्टेशनरी आदि।

सत्र संचालन–सत्र के प्रारम्भ मे सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागियों को पेड़ का चित्र दिखाकर निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा–परिचर्चा की जाये।

1. क्या ये पेड़ सम्प्रेषण का माध्यम हो सकता है?
2. पेड़ के विभिन्न भागों से हमें कौन सा संदेश प्राप्त होता है?
3. प्रकृति में ऐसे कौन से माध्यम हैं, जिनसे हमें मूल्यों के संबंध मे संप्रेषण प्राप्त होता है?

गतिविधि – हरा पेड़ कुछ कहता है
जड़ें–बुनियादी मूल्य (सत्य, अहिंसा, ईमानदारी)
तना–परिवार और समाज
शाखायें–विभिन्न गुण जैसे–सहयोग, समानता, स्वतन्त्रता (धैर्य)
पत्तियाँ–व्यक्तिगत मूल्य जैसे– मित्रता, अनुशासन, करूणा (कर्तव्य बोध)

सुगमकर्ता पी0पी0टी0 के माध्यम से मूल्यों के विकास में प्रभावी सम्प्रेषण की भूमिका पर चर्चा प्रारम्भ करते हुए सत्र को दिशा प्रदान करे –

मानव जीवन सामाजिक है और समाज में जीवन व्यतीत करने के लिए मूल्यों की आवश्यकता होती है। मूल्य केवल व्यक्ति को सही और गलत का बोध ही नहीं कराते बल्कि नैतिक, सामाजिक एवं संवैधानिक दायित्वों की ओर भी प्रेरित करते हैं। मूल्यों का विकास स्वाभाविक रूप से नहीं होता बल्कि इसके लिए शिक्षा, संस्कार और प्रभावी संप्रेषण आवश्यक होता है। **संप्रेषण** वह माध्यम है जिसके द्वारा विचार, अनुभव, भावनाएँ और ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचता है। यही संप्रेषण शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में मूल्यों के विकास का आधार बनता है।

गतिविधि 1 – मूल्य अभिनय

उद्देश्य –

- विचारों को हाव–भाव के साथ सम्प्रेषित करने की क्षमता का विकास करना।
- अभिनय के माध्यम से नैतिक मूल्यों की समझ का विकास करना।
- अशाब्दिक मूल्य संप्रेषण कौशल का विकास करना।

साम्रगी – कागज, पेन आदि।

प्रक्रिया –

- सुगमकर्ता मूल्यों की सूची तैयार करते हुए उनमें से कुछ मूल्यों जैसे – दयालुता, जिम्मेदारी, सहयोग, सेवाभाव, करूणा आदि को कागज की पर्चियों पर लिखकर तैयार करें।
- प्रतिभागियों में से (चार से पाँच) प्रतिभागियों को बारी–बारी से पर्ची उठाने को कहा जाये साथ ही उन्हें निर्देशित किया जाये कि पर्ची में लिखा मूल्य बोलकर साझा नहीं करना है।
- प्रतिभागी पर्ची पर लिखे मूल्य को अभिनय द्वारा प्रदर्शित करेंगे।
- अन्य प्रतिभागी अभिनय किये जा रहे मूल्य का अनुमान लगाकर बतायेंगे।
- अच्छे प्रदर्शन पर सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया जाये।

चर्चा परिचर्चा – सुगमकर्ता द्वारा अशाब्दिक मूल्य सम्प्रेषण पर चर्चा की जाये। साथ ही अशाब्दिक सम्प्रेषण का विद्यार्थियों के मन में पड़ने वाले प्रभावों पर बातचीत करते हुए सत्र को दिशा प्रदान की जाये।

गतिविधि 2 – मूल्यों की श्रृंखला

उद्देश्य –

- अनुभव साझा करना।
- एक–दूसरे को अनुभवों से प्रेरित करना।

सामग्री – कागज, डोरी, स्टेपलर आदि।

प्रक्रिया –

- सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागियों को आज के दिन में उनके द्वारा किये गये किसी मूल्य आधारित कार्य (जैसे– किसी पर दया करना, सहयोग करना, ईमानदारी दिखाना आदि) पर विचार करने को कहा जाये।
- प्रतिभागियों को एक कागज पर एक वाक्य में उक्त मूल्य आधारित कार्य (मूल्य सहित) लिखने को कहा जाये।
- प्रतिभागी एक–एक करके सदन के सम्मुख अपने कार्य को पढ़कर साझा करें एवं सुगमकर्ता के पास उपलब्ध डोरी में जोड़ते जायें।
- क्रमशः इसी प्रकार प्रत्येक प्रतिभागी सदन के सम्मुख आकर मूल्य आधारित कार्य साझा करे एवं माला में जोड़ता जाये।
- सुगमकर्ता कुछ प्रतिभागियों के सहयोग से **'मूल्यों की श्रृंखला'** का प्रदर्शन कर उत्साहवर्धन करें।

चर्चा परिचर्चा – सुगमकर्ता प्रतिभागियों से चर्चा करे कि –

- मूल्य साझा करना मूल्यों के विकास में सहायक होता है।
- मूल्य अधारित कार्यों के प्रोत्साहन से उन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है।

सुगमकर्ता द्वारा पी0पी0टी0 के माध्यम से मूल्य एवं सम्प्रेषण के परस्पर सम्बन्ध पर चर्चा की जाये।

मूल्य एवं संप्रेषण का परस्पर संबंध –

मूल्य व्यक्ति के आचरण, निर्णय और व्यवहार को दिशा देने वाले सिद्धांत हैं। वहीं, संप्रेषण वह सेतु है जिसके माध्यम से मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते हैं। यदि प्रभावी संप्रेषण न हो तो मूल्य केवल पुस्तकीय ज्ञान बनकर रह जाएँगे और उनका आचरण में प्रयोग संभव नहीं होगा।

संप्रेषण के विभिन्न रूप – संप्रेषण मूल्य शिक्षा को सुदृढ़ बनाने में सहायक है। सम्प्रेषण के दो रूप होते हैं – शाब्दिक (मौखिक और लिखित) तथा अशाब्दिक (दृश्य, संकेत, प्रतीक)।

गतिविधि 3 – सत्य या असत्य

उद्देश्य –

- प्रतिभागियों के बीच संवाद कराना।
- गैर मौखिक संकेतों (हाव–भाव आदि) का अनुमान लगाने की क्षमता विकसित करना।

प्रक्रिया –

- सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागियों में से किन्हीं दो प्रतिभागियों को सदन के सम्मुख आमन्त्रित किया जाये तथा दोनों प्रतिभागियों में से एक को **'वक्ता'** तथा दूसरे को **'श्रोता'** बनने को कहा जाये।
- सुगमकर्ता 'वक्ता' प्रतिभागी को स्वयं में निहित किसी एक सत्य और एक असत्य मूल्य को एक वाक्य में साझा करने को कहे।
- सुगमकर्ता द्वारा 'श्रोता' प्रतिभागी को उन दो कथनों में से सत्य और असत्य का पता लगाने व सबसे साझा करने को कहा जाये।
- वक्ता द्वारा श्रोता के अनुमान को पुष्ट किया जाये।

चर्चा–परिचर्चा – शाब्दिक और अशाब्दिक सम्प्रेषण के दौरान हाव–भाव, शारीरिक भाषा, संवाद, तर्क एवं चिन्तन आदि पर चर्चा करते हुए सुगमकर्ता सत्र को दिशा प्रदान करे।

सुगमकर्ता द्वारा पी0पी0टी0 के माध्यम निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की जाये –

- सकारात्मक और नकारात्मक संप्रेषण का प्रभाव
- शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम की भूमिका
- संप्रेषण की चुनौतियाँ

सकारात्मक और नकारात्मक संप्रेषण का प्रभाव –

सकारात्मक संप्रेषण – प्रभावी, स्पष्ट और सम्मानजनक संप्रेषण व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा देता है। यह दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके प्रति सहानुभूति रखने में मदद करता है।

नकारात्मक संप्रेषण – जब संप्रेषण बाधित या नकारात्मक होता है तो यह भ्रम व संदेह को जन्म दे सकता है और सामाजिक विघटन का कारण बन जाता है। इससे नकारात्मक व्यक्तित्व और व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।

संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों से मूल्य विकास–

- **पारिवारिक संप्रेषण –** परिवार में माता–पिता बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। उनके कार्यों और बातचीत को देखकर बच्चे दया, स्नेह और सम्मान जैसे मूल्यों को सीखते हैं। साथ ही परिवार का आनंदमयी

वातावरण प्रेम और उदारता को बढ़ावा देता है।

- **सामाजिक संप्रेषण** – समाज में भाषा, हाव–भाव और अन्य गैर–मौखिक संकेतों के माध्यम से सूचनाओं का आदान–प्रदान होता है। यह सामाजिक मूल्यों, मानदंडों और व्यवहारों को समझने और अपनाने में सहायक होता है।
- **शैक्षिक संप्रेषण** – स्कूल और अन्य शैक्षिक संस्थान मूल्यों को सिखाने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को नैतिक सिद्धांतों और सामाजिक मूल्यों को समझने में मदद करते हैं जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है।

शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण की भूमिका –

- **शिक्षण विधियाँ** – प्रश्नोत्तर, वाद–विवाद, नाट्य रूपांतरण और परियोजना कार्य में संप्रेषण के माध्यम से मूल्य प्रत्यक्ष रूप से विकसित होते हैं।
- **सहगामी गतिविधियाँ** – प्रार्थना सभा, सामाजिक सेवा, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संवाद और सहभागिता से मानवीय व संवैधानिक मूल्य स्थापित होते हैं।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग** – ऑडियो–वीडियो, ई–पुस्तकें, ऑनलाइन संवाद मंच आदि आधुनिक संप्रेषण साधन मूल्य शिक्षा को और प्रभावी बनाते हैं।

संप्रेषण की चुनौतियाँ –

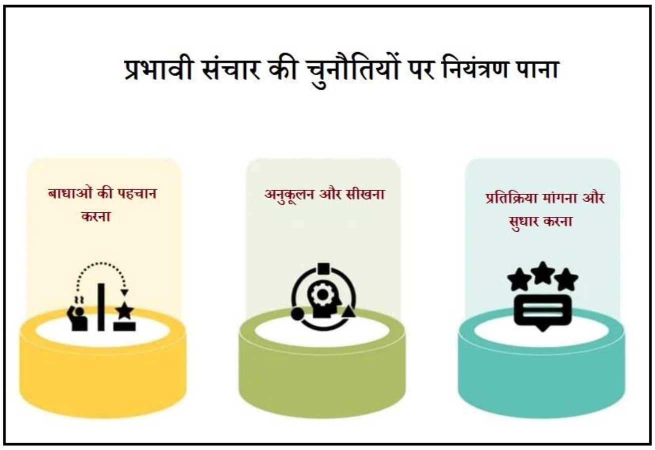

- यदि संप्रेषण एकतरफा और उपदेशात्मक हो तो मूल्य विकास कमजोर रह जाता है।
- भाषा की जटिलता और उदाहरणों की अनुपयुक्तता भी प्रभावी संप्रेषण में बाधक है।
- डिजिटल युग में नकारात्मक संप्रेषण (जैसे हिंसक या भ्रामक सामग्री) मूल्य शिक्षा को विपरीत दिशा में प्रभावित कर सकती है।

समाधान एवं सुझाव –

- संप्रेषण को संवादात्मक और सहभागी बनाया जाये।
- शिक्षक द्वारा आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाये।
- स्थानीय संस्कृति, कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से मूल्य शिक्षा को सरल और रोचक बनाया जाये।
- मीडिया और डिजिटल संसाधनों का सकारात्मक उपयोग कर बच्चों में सहानुभूति और संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जाये।
- परिवार, समाज और विद्यालय के बीच निरंतर संवाद आवश्यक है।

गतिविधि 4 – गीत गतिविधि मानवीय मूल्य सम्प्रेषण)

सर्वप्रथम हम बने उदाहरण,
स्वयं का आदर्श व्यवहार हो।
मानवीय मूल्यों के सम्प्रेषण हेतु,
प्रेरक प्रंसगों का हार हो।।

सकारात्मक शारीरिक भाषा,
एवं स्पष्ट मौखिक संचार हो।
पुरस्कार और दण्ड प्रणाली संग,
सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हो।।

रचनात्मक प्रतिक्रिया का प्रवाह,
समूह–चर्चा का इंद्रधनुषी हार हो।
संस्कृतीकरण–प्रशिक्षण संग,
मानवीय मूल्य स्वीकार हो।।

उद्देश्य –

- कविता/गीत के माध्यम से मानवीय मूल्यों के सम्प्रेषण के उपायों को साझा करना।
- रोचक एवं आनन्ददायी वातावरण का सृजन करना।

सामग्री – कविता में आये मूल शब्दों के पोस्टर्स/कागज की पट्टिकाएँ आदि।

प्रक्रिया –

- सुगमकर्ता कविता/गीत में रेखांकित शब्दों के पोस्टर्स पूर्व में ही तैयार कर ले।
- सुगमकर्ता प्रतिभागियों को अपने स्थान पर खड़े होने का आग्रह करे।
- सुगमकर्ता गीत की पंक्तियों को हाव–भाव के साथ प्रस्तुत करेंगे और फिर उसे प्रतिभागियों से दोहराने को कहे।
- सुगमकर्ता प्रस्तुत किये जा रहे गीत से सम्बन्धित पूर्व में तैयार किये गये पंक्तियों के पोस्टर्स को प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार हाथ में लेकर प्रदर्शित करता रहेगा।
- सुगमकर्ता गतिविधि के दौरान उत्साह बनाये रखें, और प्रतिभागियों से पंक्तियों को दोहराने का अवसर प्रदान करे।

चर्चा–परिचर्चा – सुगमकर्ता प्रतिभागियों के साथ चर्चा करते हुए बताये कि मूल्यों का विकास केवल पुस्तकीय ज्ञान से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रभावी संप्रेषण अनिवार्य है। संप्रेषण ही वह माध्यम है, जो विचारों को आचरण में बदलता है, ज्ञान को अनुभव में रूपांतरित करता है और व्यक्ति को मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों से परिपूर्ण नागरिक बनाता है। शिक्षक, परिवार और समाज यदि संवाद, उदाहरण और आदर्श आचरण के द्वारा संप्रेषण को सार्थक दिशा दे तो मूल्य शिक्षा का उद्देश्य पूर्णतः सफल हो सकता है।

विषय–विद्यालयी सन्दर्भ में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने हेतु प्रमुख रणनीतियाँ

मूल्यों की शिक्षा सिखाकर नहीं बल्कि उन मूल्यों को अनुभूत कराकर, मूल्यों को व्यवहार मे जीवंत कर आस्था, विश्वास और मान्यता मे बदला जा सकता है। –डॉ0 एच0 एस0 बैस

अवधि : 90

सत्र उद्देश्य– इस सत्र के पश्चात् प्रतिभागी शिक्षक निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी समझ विकसित कर सकेंगे–

- विद्यालयी सन्दर्भ में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य के विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन करने की क्षमता का संवर्द्धन करना।
- मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को दैनिक और सहायक शैक्षणिक गतिविधियों में समाहित करने के विभिन्न संदर्भो को समझाना।
- कक्षा शिक्षण में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को विद्यार्थियों में विकसित करने की प्रभावी रणनीतियाँ निर्माण करने में सक्षम बनाना।

आवश्यक सामग्री – पी0पी0टी0, अलग–अलग रंगों के चार्ट पेपर, मार्कर, स्केच पेन एवं अन्य आवश्यक स्टेशनरी आदि।

सत्र संचालन – सुगमकर्ता द्वारा सत्र के आरम्भ में प्रमुख मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों की सामान्य चर्चा करते हुए प्रतिभागी शिक्षकों को सत्र से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य किसी भी लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला होते हैं। ये सभी मूल्य व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के समग्र विकास को दिशा प्रदान करते हैं। भारतीय संदर्भ में ये सभी मूल्य हमारे संविधान और संस्कृति दोनों में निहित हैं।

1. **मानवीय मूल्य** – सहानुभूति, करुणा, सहयोग, अहिंसा, ईमानदारी, सेवा भावना आदि।
2. **संवैधानिक मूल्य** – स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, भाईचारा, राष्ट्रीय एकता, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण आदि।

आइये अब कुछ गतिविधियों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि विद्यार्थियों में मूल्य विकास की प्रक्रिया को कैसे निर्धारित किया जाये –

गतिविधि 1 – मूल्यों का पिटारा

उद्देश्य – प्रतिभागी शिक्षकों को विद्यालयी संदर्भ में विभिन्न मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने के प्रति संवेदीकृत करना।

सामग्री – रंगीन चार्ट पेपर, पी0पी0टी0, मूल्यों की चिट/कार्ड (लाटरी हेतु), गत्ते का बॉक्स, पेन एवं मार्कर आदि।

प्रक्रिया – सुगमकर्ता प्रतिभागियों को पाँच समूहों में विभाजित करे। तत्पश्चात् प्रत्येक समूह को कुछ मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों जैसे समानता, सहिष्णुता व बंधुत्व, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय, अहिंसा व शांति, पर्यावरणीय मूल्य, अनुशासन व जिम्मेदारी, सहानुभूति, सहयोग एवं राष्ट्रप्रेम लिखे हुए मूल्यों के चिट/कार्ड को एक बॉक्स में डालकर उनमें से कोई दो चिट/कार्ड चुनने को कहे। अब उन्हें चुने हुए मूल्य के सापेक्ष एक शिक्षक के रूप में उस मूल्य के संवर्द्धन हेतु विद्यालय में करायी जाने वाली किसी रणनीति और उस रणनीति के अपेक्षित परिणाम को प्रदर्शित करते हुए चार्ट पेपर पर उसे अंकित करने को कहा जाये और समूह से प्रस्तुतीकरण कराया जाये।

चर्चा–परिचर्चा – सुगमकर्ता प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्न तालिका के अनुरूप प्रतिभागियों से चर्चा–परिचर्चा करते हुए गतिविधि का समेकन करे –

क्र. सं.	क्षेत्र / मूल्य	शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति	अपेक्षित परिणाम
1	समानता का मूल्य	सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना, भेदभाव रहित व्यवहार करना	विद्यार्थियों में समानता की भावना का विकास
2	सहिष्णुता एवं भाईचारा	विभिन्न धर्म, भाषा व संस्कृति के त्योहार/दिवस मनाना	परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना का विकास
3	लोकतांत्रिक मूल्य	कक्षा में चर्चा, मतदान व निर्णय लेने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी	लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास
4	मानवाधिकार	मानवाधिकार दिवस, रोल–प्ले और नाटक द्वारा जागरूकता	अधिकारों व कर्तव्यों की समझ विकसित होना
5	सामाजिक न्याय	कमजोर वर्गों व वंचित विद्यार्थियों को प्रोत्साहन एवं सहारा देना	संवेदनशीलता और न्याय की भावना का विकास
6	अहिंसा व शांति	महापुरुषों के विचारों/जीवनियों पर चर्चा, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान	शांति व सहअस्तित्व की प्रवृत्ति
7	पर्यावरणीय मूल्य	स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, पर्यावरण दिवस आयोजन	पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना जागृत होना
8	अनुशासन व जिम्मेदारी	समय पालन, नियमों का पालन व विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का विभाजन	आत्मानुशासन और कर्तव्यनिष्ठा का विकास
9	सहानुभूति और सहयोग	समूह कार्य, जरूरतमंदों की मदद हेतु गतिविधियाँ	सहयोग व संवेदनशीलता का विकास
10	राष्ट्रप्रेम	राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, संविधान की प्रस्तावना का पठन	राष्ट्रप्रेम और नागरिक जिम्मेदारी की भावना का विकास

गतिविधि 2 – नवाचार बैंक

उद्देश्य – प्रतिभागी शिक्षकों को मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों पर आधारित गतिविधियों का निर्माण तथा उसका संचालन एवं नवाचार करने हेतु प्रेरित करना।

आवश्यक सामग्री – पेन, पेन्सिल, रबर, ए–4 पेपर, स्केच पेन।

प्रक्रिया – सुगमकर्ता सभी प्रतिभागी शिक्षकों को विद्यालय में उनके द्वारा करायी जाने वाली न्यूनतम एक ऐसी गतिविधि या नवाचार को ए–4 साइज के पेपर पर लिखने को कहे जिससे विद्यार्थियों में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का विकास होता हो। शिक्षक इस संदर्भ में किसी रोचक घटना/अनुभवों का भी उल्लेख कर सकते है जो उनके विद्यालय में घटित हुई हो। अंत में सुगमकर्ता द्वारा सभी के पेपर एकत्र

करके कुछ प्रतिभागियों को अपनी गतिविधि/नवाचार व रोचक अनुभवों को सदन में साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाये।

चर्चा–परिचर्चा – सुगमकर्ता एकत्रित नवाचारों/गतिविधियों को नवाचार बैंक का नाम देते हुए सभी से उनको संक्षेप में साझा करते हुए चर्चा करे। कुछ प्रमुख नवाचारों के शीर्षकों को एक चार्ट पेपर पर लिखकर प्रशिक्षण सदन में प्रदर्शित भी किया जा सकता है।

गतिविधि 3 – साझी सम्पदा

उद्देश्य – विद्यार्थियों में सेवा भाव, सहयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने हेतु प्रतिभागी शिक्षकों की क्षमता का संवर्द्धन करना।

सामग्री – स्टिकी नोट्स, कागज, पेन, चार्ट पेपर आदि।

प्रक्रिया – सर्वप्रथम सुगमकर्ता प्रतिभागियों को उनके पास उपलब्ध सामग्री की सूची बनाने को कहे। तत्पश्चात् उस सूची में से किसी ऐसी सामग्री का चुनाव करने को कहे जिसके बिना उनका काम चल सकता है या वह सामग्री उनके पास अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध है एवं जिसे वह किसी अन्य को प्रयोग हेतु सहर्ष दे सकते हैं। अब उस चुनी हुई सामग्री को प्रतिभागी शिक्षक स्टिकी नोट्स पर लिखें। सुगमकर्ता एक चार्ट पर साझी सम्पदा शीर्षक लिख कर सदन में लगा दे। अब प्रत्येक प्रतिभागी अपने स्टिकी नोट्स को उस साझी सम्पदा वाले चार्ट पर चिपकाएँगे। सुगमकर्ता उन सामग्रियों को सदन की साझी सम्पदा कहकर प्रतिभागियों को आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करने को कहे।

चर्चा–परिचर्चा – सुगमकर्ता द्वारा उपरोक्त गतिविधि के आधार पर विकसित होने वाले मूल्यों जैसे पारस्परिक सहयोग, सेवाभाव, सामूहिकता के भाव आदि पर चर्चा करते हुए शिक्षकों को विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में भी इस प्रकार की साझी सम्पदा विकसित करने का सुझाव दिया जाये।

गतिविधि 4 – कार्य योजना निर्माण

उद्देश्य – विद्यालय में मूल्य आधारित वातावरण और प्रक्रियाओं द्वारा विद्यार्थियों में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों के विकास करने हेतु प्रतिभागी शिक्षकों की क्षमता का संवर्द्धन।

सामग्री – कागज, पेन, चार्ट पेपर, आदि।

प्रक्रिया – सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागी शिक्षकों को पुनः पाँच समूहों में विभाजित करते हुए प्रत्येक समूह को अपने विद्यालय में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों के विकास हेतु एक विस्तृत कार्य योजना के निर्माण करने हेतु कहा जाये। कार्य योजना के निर्माण हेतु तालिका का एक उदाहरण प्रतिभागियों को दिया जा सकता है :–

क्रमांक संख्या	रणनीति /गतिविधि	उद्देश्य	क्रियान्वयन	संबंधित मूल्य	अपेक्षित परिणाम

रणनीति/गतिविधियों के अंतर्गत विद्यालय में होने वाली सभी क्रियाकलापों को समाहित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए –

1. विद्यालय में मूल्य आधारित वातावरण का निर्माण।
2. प्रार्थना सभा में मूल्यों का संवर्द्धन।
3. कक्षा में मूल्य आधारित वातावरण बनाना।
4. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संचालन के द्वारा मूल्यों का संवर्द्धन।
5. सह–पाठ्यक्रम गतिविधियों के द्वारा मूल्यों का विकास।
6. सामाजिक सेवा और सामुदायिक सहभागिता।

चर्चा–परिचर्चा – प्रत्येक समूह अपने आवंटित कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों को निरुपित एवं संवर्द्धित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाकर सदन में कार्ययोजना का प्रदर्शन करते हुए विकसित होने वाले प्रमुख मूल्यों पर चर्चा करे। सुगमकर्ता द्वारा अन्त में गतिविधि का समेकन करते हुए स्पष्ट किया जाये कि – विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ बच्चों के चरित्र और मूल्य सबसे गहराई से विकसित होते हैं। विद्यालय विद्यार्थियों में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को ज्ञान, आचरण और अनुभव–तीनों स्तरों पर विकसित कर सकता है।

नोट– सुगमकर्ता की सुविधा हेतु कार्ययोजना का प्रारूप निम्नवत् है–

क्र0सं0	रणनीति / गतिविधि	उद्देश्य	क्रियान्वयन	सम्बन्धित मूल्य	अपेक्षित परिणाम
1	विद्यालय में मूल्य आधारित वातावरण का निर्माण।	विद्यालय के सभी हितधारकों (छात्र, अभिभावक, समुदाय विद्यालयी स्टाफ) के साथ व विद्यालय की सम्पूर्ण प्रक्रियाओं में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का संचरण।	सभी हितधारकों के साथ समान व्यवहार। विद्यालय में सभी के लिए भेदभाव रहित, सुरक्षित व सौहार्दपूर्ण वातावरण। विद्यालय प्रांगण में महान व्यक्तित्व व उनके प्रेरक कथन का प्रदर्शन, विद्यालय में साफ–सफाई व पर्यावरण संरक्षण का विशेष प्रबंध, विद्यालय का समस्त स्टाफ अपने कार्यों के सम्पादन में स्वयं मूल्यों को आचरण में उतारकर आदर्श प्रस्तुत करें। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकला जाये। लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ विद्यालय में अपनायी जाए जैसे विद्यालय में छात्र संसद या बाल सभा का गठन, निर्णय लेने में विद्यार्थियों को भागीदारी का अवसर, कक्षा में छोटे–छोटे मतदान व चर्चा।	शांति व सहअस्तित्व, संवेदनशीलता, न्याय, पर्यावरण संरक्षण, परस्पर सम्मान व सहयोग।	विद्यालय में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का जीवंत अनुभव, भेदभाव रहित, सुरक्षित व सौहार्द्रपूर्ण वातावरण।
2	प्रार्थना सभा में मूल्यों का संवर्द्धन।	समस्त विद्यालय परिवार में मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता, समय पालन, अनुशासन व उत्तरदायित्व का प्रेषण।	प्रार्थना सभा में नैतिक प्रसंग, प्रेरक कहानियाँ और संविधान की प्रस्तावना का पठन। संविधान, देश–प्रेम, बंधुत्व, साम्प्रदायिक सौहार्द्र व पर्यावरण संरक्षण के प्रति शपथ ग्रहण कराना।	राष्ट्रप्रेम, समानता, नैतिकता, समय पालन, अनुशासन, अहिंसा, शांति।	आत्मानुशासन और कर्तव्यनिष्ठा, अधिकारों व कर्तव्यों की समझ, शांति व सहअस्तित्व की प्रवृत्ति, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी।
3	कक्षा में मूल्य आधारित वातावरण बनाना।	विद्यार्थियों को समानता, समता, समावेशी व लोकतांत्रिक वातावरण के द्वारा मूल्यों का वास्तविक अनुभव प्रदान करना।	कक्षा में बैठक व्यवस्था व प्रक्रियाओं में सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना, विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं व विभिन्न रुचियों का समावेशन, वंचित व कमजोर विद्यार्थियों को प्रोत्साहन व सहयोग देना, साझा समझ व साझे निर्णय के अवसर देना, समय पालन, नियमों का पालन व विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का विभाजन।	लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, समानता, समावेशन आत्मानुशासन, अधिकारों व कर्तव्यों की समझ।	समानता और न्याय की भावना का विकास, लोकतंत्र की एक जीवन शैली के रूप में समझ, मूल्यों का व्यावहारिक अनुभव, अनुशासन व जिम्मेदारी।

4	शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संचालन के द्वारा मूल्यों का संवर्द्धन।	मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को पाठ्यक्रम की शिक्षा के साथ जोड़कर विद्यार्थियों को ज्ञान व अनुभव के आधार पर मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना।	पढ़ाये जाने वाले हर विषय के प्रत्येक प्रकरण में अंतर्निहित मूल्य को आधार बनाकर मूल्य आधारित पाठ्य–योजना का निर्माण व कक्षा में उसका निरूपण, सहयोगात्मक शिक्षण पद्धति अपनाना, कक्षा में चर्चा, वाद–विवाद, प्रश्नोत्तर और समूह कार्य द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रत्येक विद्यार्थी को भागीदारी का अवसर देना। संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों से संबंधित विषयों को रोचक तरीके से पढ़ाना। मानवाधिकार, समानता, लोकतंत्र, शांति व भाईचारे जैसे विषयों पर प्रोजेक्ट और निबंध प्रतियोगिताएँ कराना। महापुरुषों के जीवन से लोकतंत्र, अधिकार व कर्तव्य के उदाहरण प्रस्तुत करना।	सहयोग, टीम भावना और न्याय, संवेदनशीलता एवं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, अधिकारों व कर्तव्यों की समझ।	मूल्य आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, परस्पर सम्मान व सहयोग, विद्यार्थियों में समानता की भावना, सामाजिक न्याय और सहानुभूति, लोकतांत्रिक भागीदारी व नेतृत्व क्षमता, मूल्यों का अनुभवात्मक ज्ञान, सहयोग, टीम भावना और संवेदनशीलता का विकास।
5	सह–पाठ्यक्रम गतिविधियों के द्वारा मूल्यों का विकास।	पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन के द्वारा विद्यार्थियों में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का निरूपण।	राष्ट्रीय पर्व (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, संविधान दिवस) का आयोजन। महापुरुषों की जयंती/पुण्यतिथि पर उनके विचारों और मूल्यों पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन। विविध धर्म, संस्कृति व भाषाओं का सम्मान करना, खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल सभा आदि के आयोजन के द्वारा विद्यार्थियों में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का निरूपण, संविधान पर आधारित क्विज, नाटक, भूमिका निर्वाह एवं पोस्टर–निर्माण प्रतियोगिताओं का आयोजन।	देशभक्ति, सम्मान, शांति व सहअस्तित्व की प्रवृत्ति, सहयोग, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, अधिकारों व कर्तव्यों की समझ।	परस्पर सम्मान व सहयोग, राष्ट्रप्रेम व नागरिक जिम्मेदारी, अहिंसा, शांति व नैतिकता का विकास और संवैधानिक चेतना का विकास।
6	सामाजिक सेवा और सामुदायिक सहभागिता	समाज सेवा और सामुदायिक सहभागिता जैसे कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का विकास।	स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण कार्यक्रम और जल संरक्षण गतिविधियाँ, जरूरतमंदों की मदद हेतु कपड़े/पुस्तक दान शिविर, स्थानीय समुदाय से जुड़ाव के कार्यक्रम (जैसे वृद्धाश्रम/अनाथालय भ्रमण), समूह कार्य आदि।	सहिष्णुता, सहयोग, संवेदनशीलता, नागरिक जिम्मेदारी, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की समझ।	सहिष्णुता और भाईचारे की भावना का विकास, समुदाय के साथ जुड़ाव व अपनी जिम्मेदारी की समझ, पर्यावरणीय मूल्य।

विषय – बाल अधिकार के संदर्भ में शिक्षक एवं समाज का उत्तरदायित्व

हर बच्चे का अधिकार है – खुलकर जीना, पढ़ना और मुस्कराना।

अवधि – 90 मिनट

सत्र उद्देश्य – इस सत्र के पश्चात् प्रतिभागी शिक्षक निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी समझ विकसित कर सकेंगे–

- बाल अधिकारों की विस्तृत समझ विकसित करना।
- बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना।
- अपने विद्यालय व आसपास के समुदाय में बाल अधिकारों के संरक्षण व संवर्द्धन के प्रति अपने उत्तरदायित्व की पहचान कराना।

आवश्यक सहायक सामग्री :– पेन, पेन्सिल, रबर, चार्ट पेपर, ए–4 साइज पेपर, फ्लैश कार्ड स्केच पेन एवं अन्य स्टेशनरी आदि।

सत्र संचालन (भाग–1) – सुगमकर्ता द्वारा सत्र का प्रारम्भ 'क्या यह बाल अधिकार है' नामक गतिविधि से किया जाये।

गतिविधि 1 – क्या यह बाल अधिकार है?

उद्देश्य – बाल अधिकारों की समझ विकसित करना।

प्रक्रिया – सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागी शिक्षकों को पाँच समूहों में बाँटते हुए प्रत्येक समूह को स्थितियाँ (सिचुएशन कार्ड्स) दिये जाये, जैसे–

- बच्चा स्कूल छोड़कर काम पर जा रहा है।
- कक्षा में शिक्षक बच्चों को विचार रखने से रोकता है।
- एक बच्चा अपने विचार सभा में साझा करता है।
- विद्यालय में खेल के शिक्षक न होने से समय–सारणी में सभी वादन पठन हेतु हैं।
- घरेलू कार्यों के कारण छात्राएँ अक्सर कक्षा से अनुपस्थित रहती हैं।
- सभी विद्यार्थी कक्षा में करायी जा रही गतिविधि में समान रूप से प्रतिभाग करते हैं।

चर्चा–परिचर्चा – सुगमकर्ता समूह के साथ चर्चा करे कि कौन–सी स्थिति में **अधिकारों का पालन** हो रहा है और किसमें **उल्लंघन**। सुगमकर्ता चर्चा करते हुए बाल अधिकारों की अवधारणा को पी0पी0टी0 के माध्यम से स्पष्ट करते हुए गतिविधि का समेकन करे।

बाल अधिकार – बाल अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो बच्चों को उनके सम्पूर्ण विकास, सुरक्षा और सम्मानपूर्वक जीवन के लिए दिए जाते हैं। ये अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि हर बच्चा स्वस्थ, सुरक्षित, शिक्षित और गरिमामय जीवन जी सके। इन अधिकारों का उद्देश्य बच्चों को एक अच्छा और सुरक्षित बचपन देना है। बाल अधिकार 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों पर लागू होते हैं। सन् 1989 का संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC) इन अधिकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका भारत ने भी सन् 1992 में समर्थन किया था। भारत में लाखों बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान से वंचित हैं। भारतीय संविधान ने बच्चों के विशेष अधिकारों को मान्यता दी है। भारत में, बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए **1098 हेल्पलाइन** भी उपलब्ध है।

बाल अधिकारों के प्रमुख प्रकार (UNCRC के अनुसार)

क्रम0 सं0	अधिकार का नाम	सरल विवरण
1.	**जीवन व विकास का अधिकार**	प्रत्येक बच्चे को जीने और विकास का पूरा अवसर मिलना चाहिए।
2.	**शिक्षा का अधिकार**	6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
3.	**स्वास्थ्य का अधिकार**	प्रत्येक बच्चे को उपचार, टीकाकरण, साफ पानी और पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए।
4.	**खेल और मनोरंजन का अधिकार**	बच्चों को खेलने, घूमने और आराम करने का अधिकार है।
5.	**अभिव्यक्ति का अधिकार**	बच्चे को अपनी बात कहने, राय रखने और सुने जाने का अधिकार है।
6.	**संरक्षण का अधिकार**	बच्चों को शोषण, बाल श्रम, बाल विवाह, तस्करी आदि से सुरक्षा मिलनी चाहिए।
7.	**पहचान का अधिकार**	हर बच्चे का नाम, नागरिकता और परिवार से जुड़ाव होना जरूरी है।

भारत में बाल अधिकार – बाल अधिकार भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का हिस्सा हैं। भारत ने सन् 1992 में United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) को स्वीकार किया। इसके तहत भारत ने कई कानून बनाए हैं, जैसे–

भारत में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून

कानून का नाम	उद्देश्य
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009	6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986	14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना अवैध है। 14 **से** 18 **वर्ष की उम्र के किशोरों को खतरनाक उद्योगों में काम करने की अनुमति नहीं है,** जैसे – खनन, पटाखा फैक्ट्री, रसायन निर्माण आदि।
बाल यौन शोषण से संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012	बच्चों की यौन शोषण से सुरक्षा के लिए सख्त कानून।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005	भारत के संविधान और **संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि** (UNCRC) के अनुरूप बच्चों को संरक्षण और अधिकार प्रदान करना।
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015	बाल अपराधियों और बेसहारा बच्चों के लिए न्याय प्रणाली।

गतिविधि 2 – शिक्षकों की भूमिका पर चर्चा

प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा करें –

प्रश्न 1 – शिक्षक अपने विद्यालय में बाल अधिकारों को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? बाल अधिकारों के संदर्भ में शिक्षक की क्या भूमिका है?

प्रश्न 2 – क्या विद्यालय का वातावरण बच्चों के लिए अनुकूल है? बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए क्या आपके विद्यालय में समुचित व्यवस्थाएँ हैं?

प्रश्न 3 – अपने विद्यालय व आसपास के समुदाय में बाल अधिकारों के पालन हेतु आप किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक समझते हैं?

प्रश्न 4 – एक शिक्षक व समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपके व्यवहार में कौन–से छोटे बदलाव सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं?

प्रश्न 5 – बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने में शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

समेकन – सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागी शिक्षकों के विचारों का समेकन करते हुए निम्नलिखित तथ्यों को प्रस्तुत किया जा सकता है –

बाल अधिकार सुनिश्चित करने में शिक्षकों की भूमिका–

- बच्चों को अधिकारों की जानकारी देना व जागरूकता फैलाना।
- विद्यालय को सुरक्षित और सहयोगी बनाना।
- बाल शोषण, बाल विवाह या बाल श्रम दिखने पर रिपोर्ट करना।
- बाल अधिकारों को पढ़ाई में शामिल करना।
- सकारात्मक वातावरण और आदर्श प्रस्तुत करना।
- बच्चों को उनकी सुरक्षा से जुड़े अधिकार समझाना (जैसेः **'अच्छा और बुरा स्पर्श'**)।
- किसी भी प्रकार के शोषण या दुर्व्यवहार पर शान्त न रहना।

बाल अधिकार सुनिश्चित करने में समाज की भूमिका–

- अपने आस–पास के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना।
- ड्रॉपआउट या आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की पढ़ाई में सामूहिक मदद करना।
- सामुदायिक ट्यूशन सेंटर या लाइब्रेरी शुरू करना।
- बाल विवाह, बाल श्रम, यौन शोषण आदि के विरूद्ध जनचेतना एवं जागरूकता फैलाना।
- समुदाय और घर को बच्चों के लिए सुरक्षित और सहयोगी बनाना।
- बाल शोषण, बाल विवाह या बाल श्रम दिखने पर रिपोर्ट करना।
- यदि कोई बच्चा मजदूरी करता या शोषित होता दिखे तो तुरंत **1098 चाइल्डलाइन** नम्बर पर या पुलिस को सूचना देना।
- दुकानों, होटलों, कारखानों में बाल श्रमिकों को न रखना और ना ही प्रोत्साहित करना।
- सकारात्मक वातावरण और आदर्श प्रस्तुत करना।

यदि किसी बच्चे के अधिकार का हनन हो रहा हो तो वह क्या करे?

- **1098** – चाइल्डहेल्पलाइन (24×7 मुफ्त सहायता सेवा) पर कॉल करे।
- नजदीकी **बाल कल्याण समिति (CWC)** या पुलिस स्टेशन में संपर्क करे।
- अपने शिक्षक, प्रधानाचार्य या विश्वसनीय बड़े से बात करे।

संपर्क और सहयोग संसाधन

- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) – www.ncpcr.gov.in**
- **राज्य बाल अधिकार आयोग** – हर राज्य में अलग–अलग।

- **चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन - www.childlineindia.org.in**

गतिविधि 3 – बाल अधिकार वीथिका हेतु नारे व पोस्टर निर्माण व प्रस्तुतीकरण

प्रक्रिया– सुगमकर्ता प्रतिभागी शिक्षकों को 6 समूहों में बाँटे तथा प्रत्येक समूह को एक **बाल अधिकार** दे, जैसे–

- शिक्षा का अधिकार
- खेलने का अधिकार
- नाम और पहचान का अधिकार
- सुरक्षा का अधिकार
- स्वास्थ्य का अधिकार

तत्पश्चात् प्रत्येक समूह दिये गये अधिकार से संबंधित नारे/चित्र/पोस्टर/स्लोगन तैयार कराया जाये। अन्त में सभी प्रतिभागी समूह द्वारा प्रस्तुतीकरण किया जाये।

चर्चा–परिचर्चा – सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागियों के नारे/चित्र/पोस्टर/स्लोगन आदि के प्रदर्शन के साथ बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता संवर्द्धन का प्रयास किया जाये। साथ ही प्रशिक्षण कक्ष में प्रतिभागियों द्वारा नारे, पोस्टर आदि को प्रदर्शित करती हुई एक बाल अधिकार वीथिका का निर्माण कराया जाये।

विषय – पाठ्य सहगामी क्रियाओं में विभिन्न मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का समावेशन

विद्यालय केवल पुस्तकों से नहीं चलता बल्कि कला, संगीत खेल और सेवाकार्य से जीवन्त होता है।

——रवीन्द्र नाथ टैगोर

अवधि – 90 मिनट

सत्र उद्देश्य – इस सत्र के पश्चात् प्रतिभागी शिक्षक निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी समझ विकसित कर सकेंगे–

- शैक्षणिक जीवन में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व का पुनर्बोध।
- पाठ्य सहगामी क्रियाओं व विभिन्न मूल्यों के अन्तर्सम्बन्ध के प्रति समझ विकसित करना।
- पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने में सक्षम बनाना।(शिक्षण सहायक गतिविधियाँ)

आवश्यक सामग्री–चार्ट पेपर, ए 4 पेपर, पेन्सिल, रबर, स्केच पेन, मार्कर, स्केल एवं अन्य स्टेशनरी आदि।

पूर्व तैयारी– 8–10 सादी पर्चियाँ, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की पर्चियाँ, व्हाटसएप पोल प्रश्न एवं विकल्प के साथ तैयार रखें, विशिष्ट परिस्थितियों की पर्चियां।

सत्र संचालन–

- सुगमकर्ता सत्र के प्रारम्भ में पाठ्य सहगामी क्रियायें क्या है और विद्यार्थियों हेतु क्यों आवश्यक है? के सम्बन्ध में प्रतिभागियों के विचारों को जानने का प्रयास करे।
- प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त उत्तरों को बोर्ड पर अंकित किया जाये। साथ ही कुछ पाठ्य सहगामी क्रियायें जो शिक्षक अपने विद्यालय में करते हैं, पूछते हुए उन्हें भी बोर्ड पर अंकित किया जाये।
- पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रति प्रतिभागियों के रूझान को जानने के लिए एक पोल कराया जा सकता है। सुगमकर्ता द्वारा व्हाटसएप के माध्यम से सरल तरीके से पोल बनाया जा सकता हैं, जिसमें वह 10 पाठ्यसहगामी क्रियाओं के नाम देते हुए विद्यालय में सर्वाधिक कराये जाने वाले/सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 6 विकल्पों का चयन करने हेतु प्रतिभागियों को कहा जाये। पोल के परिणामों को सुगमकर्ता द्वारा सदन में साझा किया जाये।
- प्राप्त उत्तरों को समेकित करते हुए सुगमकर्ता पी0पी0टी0 के माध्यम से पाठ्यसहगामी क्रियाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सत्र को दिशा प्रदान करे।

पाठ्य सहगामी क्रियाएँ शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होने के साथ ही विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त एक जिम्मेदार, प्रतिभाशाली और संतुलित व्यक्तित्व का नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है।

पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व

पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से जीवन कौशल, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, समस्या समाधान, सहनशीलता, आत्मविश्वास, कक्षा में सीखे गये सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में लाने की कुशलता और नागरिकता की भावना का विकास किया जाता है।

कुछ पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उदाहरण निम्नवत् हैं–

- प्रार्थना सभा
- क्लब का गठन
- सांस्कृतिक कार्यक्रम
- एक्सपोज़र विजिट
- प्रतियोगिताओं का आयोजन (वाद–विवाद, पेंटिंग, निबन्ध आदि)
- प्रदर्शनी / मेला
- स्काउट गाइड, एन0एस0एस0, एन0सी0सी0
- विभिन्न दिवसों का आयोजन
- खेलकूद
- कार्यशाला / सेमिनार

गतिविधि 1 – कार्ययोजना निर्माण

उद्देश्य – पाठ्य सहगामी क्रियाओं की कार्ययोजना तैयार करना जो मानवीय और संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने में सहायक हो।

प्रक्रिया –

- सुगमकर्ता प्रतिभागियों को संख्या के आधार पर समूहों का विभाजन करे।
- सभी सूमहों को पर्ची देकर उनसे दो मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को लिखने को कहे।
- प्राप्त उत्तरों को बोर्ड पर लिखे तथा पुनः प्रत्येक समूह को कोई एक पूर्व निर्मित पाठ्य सहगामी क्रिया की पर्ची चयन करने को कहा जाये।
- पर्ची पर अंकित पाठ्य सहगामी क्रिया हेतु प्रतिभागी समूह द्वारा एक कार्ययोजना तैयार की जायेगी, जिसमें उनके द्वारा चयनित मूल्यों का समावेश हो।
- समय की उपलब्धता के अनुसार समूहों से प्रस्तुतीकरण कराया जाये।

चर्चा परिचर्चा – प्रस्तुतीकरण के बाद सुगमकर्ता प्रतिभागियों से चर्चा करे कि छोटी–छोटी बातों का ध्यान रखते हुए पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का विकास सहजता से किया जा सकता है।

नोट– सुगमकर्ता की सुविधा हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाओं में मूल्यों का समावेशन करते हुए प्रतिदर्श कार्ययोजना का प्रारूप निम्नवत् है–

पाठ्य सहगामी क्रियाओं में मूल्यों का समावेशन करते हुए प्रतिदर्श कार्ययोजना –1

प्रतिदर्श–01
प्रार्थना सभा में

1. प्रार्थना कराने का उत्तरदायित्व या सहयोग कक्षावार दिया जाये।
2. अपने विचार या सुविचार अथवा समाचार वाचन आदि का अवसर प्रत्येक छात्र/छात्रा को दिया जाये।
3. प्रार्थना स्थल पर अनुशासन का दायित्व विद्यार्थियों के समूह को चक्रानुक्रम (Rotation) के आधार पर दिया जाए।
4. भूमिका का विभाजन किया जाये।
5. मूल्य आधारित साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाये। (प्रत्येक सप्ताह किसी एक विशेष मूल्य के लिए निर्धारित किया जा सकता है, जैसे–दया, सहयोग, सत्यनिष्ठा, कृतज्ञता आदि। सप्ताह के अन्त में विद्यार्थियों से उनके अनुभव साझा कराये जा सकते हैं।)

दैनिक प्रार्थना सभा कार्यक्रम

(10–12 मिनट)

1. संचालन–छात्र समूह मंच पर आकर प्रार्थना की शुरूआत करते हैं।

   मूल्य–बंधुता, एकता, करूणा, समर्पण व देशभक्ति

2. प्रत्येक सप्ताह के लिए एक विशेष मूल्य (**स्वच्छता, सहयोग, करूणा, सत्यवादिता आदि**) निर्धारित किया जाए और उसका परिचय देते हुए मूल्यों का बोध कराया जाए।
3. समाचार वाचन (कक्षावार विभाजन) खेल, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय व स्थानीय समाचारों का समावेश।)

   मूल्य–जागरूकता, अनुशासन, सोच का विस्तार।

4. आज का सुविचार–(कक्षावार/सदनवार)

   मूल्य–समस्त मानवीय व संवैधानिक मूल्य समाहित किये जा सकते हैं।

5. साप्ताहिक गतिविधि–सप्ताह के आरम्भ में दिये गये मूल्य विशेष पर छात्र–छात्रा शनिवार को सप्ताह भर के अपने अनुभव को साझा करेंगे।

   मूल्य–आत्मविश्वास, सम्प्रेषण, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व

नोट–इसी प्रकार प्रार्थना सभा में बच्चों को कक्षावार/समूहवार बाँटकर गतिविधियाँ सम्पादित कराई जा सकती हैं।

पाठ्य सहगामी क्रियाओं में मूल्यों का समावेशन करते हुए प्रतिदर्श कार्ययोजना –2

प्रतिदर्श 02

विद्यालय की विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियाँ

1. बाल दिवस, शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय पर्व, विद्यालय का वार्षिकोत्सव, करियर मेला आदि के आयोजन में विभिन्न कक्षा स्तर के विद्यार्थियों के सुझाव एवं नियोजन।
2. विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में आयु, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय, वर्ग का समावेशन करते हुए सभी को अवसर देना।
3. विभिन्न भाषा, संस्कृति, कला तथा स्थानीय परम्पराओं का समुचित प्रतिनिधित्व करते हुए कार्ययोजना।
4. अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय समुदाय के सहयोग से गतिविधि का क्रियान्वयन।
5. सांस्कृतिक गतिविधियों में विभिन्न समूहों को अनुशासन, संचालन, सुरक्षा व सहयोग में सम्मिलित करना।
6. अभिरुचि के अनुसार विद्यार्थियों से आख्या, रिपोर्ट या फीडबैक आदि तैयार कराना।

स्वतंत्रता दिवस की कार्ययोजना

1. **कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित करना** – कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित करने में विद्यार्थियों के विचारों को भी सम्मिलित किया जाए। सर्वसम्मति से विभिन्न संस्कृतियों को समावेशित करते हुए एक कार्ययोजना तैयार कर सकते हैं।

   मूल्य– समावेशन, जागरूकता, सहयोग, राष्ट्रीय चेतना, अनुशासन, दूसरों के सांस्कृतिक मूल्यों की सराहना।

2. **कार्यक्रम स्थल की बैठक व्यवस्था एवं साज–सज्जा–** विद्यार्थियों की अभिरुचि के अनुसार कार्य का वितरण किया जाए।

   मूल्य–रचनात्मकता, सौन्दर्यबोध, देशप्रेम, समयबद्धता, शारीरिक कार्य का सम्मान।

3. **कार्यक्रम का संचालन**–विद्यार्थियों के समूह द्वारा किया जाए।

   मूल्य–नेतृत्व क्षमता, सामंजस्य, संप्रेषण, उत्तरदायित्व की भावना, आत्मविश्वास।

4. **मुख्य कार्यक्रम**–झण्डारोहण एवं राष्ट्रगान।

   मूल्य–देशप्रेम, समयबद्धता, राष्ट्रीय एकता।

5. उद्बोधन–

   मूल्य–राष्ट्रप्रेम, कृतज्ञता, अहिंसा, सत्यनिष्ठा।

6. सांस्कृतिक कार्यक्रम–

- लघुनाटक–(बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ)

मूल्य–समानता, संवेदनशीलता, समानभूति, न्याय।

- स्वतन्त्रता आंदोलन से सम्बंधित महत्वपूर्ण स्वतन्त्रता सेनानियों पर आधारित लघु नाटक।

मूल्य–देशप्रेम, राष्ट्रीय एकता।

1. समूह देशगान–

मूल्य–धर्मनिरपेक्षता व विविधता का सम्मान, बंधुत्व की भावना।

2. वृक्षारोपण कार्यक्रम– विद्यालय के सभी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी व विद्यार्थी मिलकर विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण करें।

मूल्य–पर्यावरण संरक्षण, सहयोग, उत्तरदायित्व का बोध।

3. क्विज प्रतियोगिता – स्वतन्त्रता आन्दोलन एवं संविधान से संबंधित क्विज का आयोजन।

मूल्य–अनुशासन, जवाबदेही, जिज्ञासा, जागरूकता, प्रतिस्पर्धा।

4. कार्यक्रम समापन मिष्ठान वितरण द्वारा–

मूल्य– अनुशासन, धैर्य, उत्तरदायित्व की भावना, सहयोग।

गतिविधि 2 – भूमिका निर्वाह

उद्देश्य – विद्यालय में उत्पन्न होने वाली विभिन्न परिस्थितियों में मूल्य विकास हेतु शिक्षकों को तैयार करना।

प्रक्रिया – विद्यालय प्रबन्धन एवं कक्षा शिक्षण के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न परिस्थितियों में शिक्षक अपने व्यवहार एवं कार्य प्रणाली से विद्यार्थियों में विभिन्न मूल्यों का विकास कर सकते हैं।

- सर्वप्रथम सुगमकर्ता कुछ विशिष्ट परिस्थितियों की पर्चियाँ पहले से तैयार कर लें।
- इन पर्चियों को समूह में बाँटकर उन पर प्रतिभागी समूह को रोल प्ले करने को कहा जाये।
- रोल प्ले के माध्यम से प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न परिस्थितियों को व्यक्त/प्रदर्शित किया जाये।
- प्रतिभागी को **अनुचित एवं उचित** दोनों ही व्यवहार प्रदर्शित करना होगा।

विभिन्न परिस्थितियाँ:–

1. प्रार्थना सभा में एक विद्यार्थी जो हकलाता है परन्तु अपने सुविचार प्रस्तुत करना चाहता है।
2. वार्षिकोत्सव में एक विद्यार्थी स्थानीय भाषा (लोक, अन्य भाषा) में गीत गाना चाहता है।
3. पढ़ाई में औसत एक विद्यार्थी कक्षा का मॉनीटर बनना चाहता है।
4. आपको ज्ञात होता है कि कक्षा के कुछ विद्यार्थी प्रार्थना सभा में सम्मिलित न होकर कक्षा में ही बैठे रहते हैं।
5. कक्षा के एक प्रतिभाशाली व औसत छात्र के बीच विवाद होता है और वे दोनों शिक्षक के पास समाधान के लिए आते हैं।
6. कक्षा के कुछ विद्यार्थी किसी भी पाठ्य सहगामी क्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं।
7. अन्य परिस्थितियाँ।

चर्चा–परिचर्चा –सुगमकर्ता द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् प्रतिभागियों से चर्चा–परिचर्चा करते हुए बताया जाये कि इसी प्रकार विद्यालयों में समय–समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों में शिक्षक का आचरण, व्यवहार, कार्यप्रणाली, शब्द व भाव–भंगिमा भी बच्चों में मूल्यों को विकसित करने में दूरगामी प्रभाव डालती हैं।

विषय – अन्तर्विषयक सम्बन्धों द्वारा मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का समावेशन

शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि उन मूल्यों को प्राप्त करना भी है जो हमें जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
– नेल्सन मण्डेला

अवधि– 90 मिनट

सत्र उद्देश्य – इस सत्र के पश्चात् प्रतिभागी शिक्षक निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी समझ विकसित कर सकेंगे–

- विषयों को संश्लेषित करने एवं विभिन्न विषयों के समरूप बिन्दुओं को पहचानने में सक्षम बनाना।
- मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में सभी विषयों को आत्मसात कराना।
- विद्यार्थियों को विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने और समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करना।

आवश्यक सामग्री – पी०पी०टी०/चित्र, चार्ट पेपर, स्टिकी नोट, स्केच पेन, स्केल, कैंची, पेंसिल, बोर्ड, मार्कर एवं अन्य स्टेशनरी आदि।

सत्र संचालन – सुगमकर्ता द्वारा पी0पी0टी0 के माध्यम से विभिन्न चित्रों को दिखाते हुए प्रस्तुत चित्र किन–किन विषयों से संबंधित है, पर प्रतिभागी शिक्षकों से चर्चा की जाये। **उदाहरण के लिए** ज्वालामुखी का चित्र दिखाते हुए सुगमकर्ता प्रश्न करे कि इस चित्र का सम्बन्ध किन–किन विषयों से है?

(प्राप्त संभावित उत्तर – विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण, अर्थशास्त्र आदि।) इसी प्रकार विभिन्न चित्र दिखाते हुए चर्चा को आगे बढ़ाया जाये।

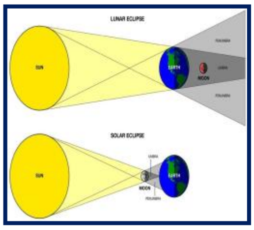

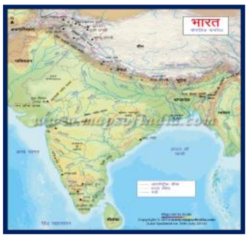

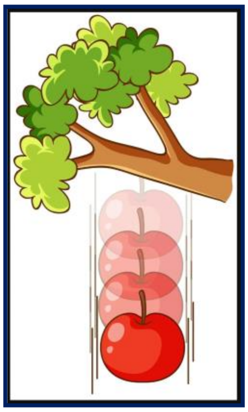

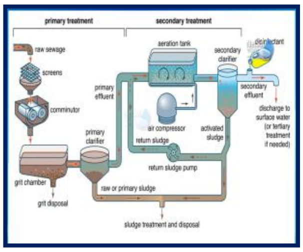

अन्तर्विषयक शिक्षण एक ऐसा माध्यम है जहाँ विद्यार्थी एक साथ कई विषयों पर आधारित अवधारणाओं, दृष्टिकोणों या परियोजनाओं का अध्ययन करते हैं। अलग–अलग क्षेत्रों में सीखने के बजाय, यह माध्यम विभिन्न विषयों के ज्ञान को मिलाकर जटिल विषयों की समग्र समझ प्रदान करता है। **उदाहरण के लिए** जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने में **विज्ञान** (पर्यावरणीय प्रभावों को समझने के लिए), **अर्थशास्त्र** (लागतों की जाँच करने के लिए) और **भूगोल** (क्षेत्रीय प्रभावों का आकलन करने के लिए) विषय को एकीकृत करना शामिल हो सकता है। विषयों के विलय से, अन्तर्विषयक शिक्षण विद्यार्थियों को व्यापक परिदृश्य में देखने और यह समझने में सक्षम बनाता है कि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र कैसे एक साथ आते हैं।

सुगमकर्ता द्वारा सत्र को आगे बढ़ाते हुए यह बताया जाये कि–

अन्तर्विषयक शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विद्यार्थियों को समस्याओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखकर आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण न केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाता है, बल्कि विद्यार्थियों को ज्ञान के अंतर्संबंधों को पहचानने में भी मदद करता है। जैसे–जैसे दुनिया और अधिक जटिल होती जा रही है, समस्याओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझना, समाधान खोजने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अन्तर्विषयक शिक्षा विद्यार्थियों को संचार, सहयोग और अनुसंधान जैसे हस्तांतरणीय कौशल विकसित करने में मदद करती है जो शैक्षणिक और व्यावसायिक दोनों ही परिदृश्यों में आवश्यक है।

गतिविधि 1 – हमसे सीखो

उद्देश्य – अन्तर्विषयक सम्बन्धों के उपागम द्वारा विभिन्न मूल्यों की समझ विकसित करने में सक्षम बनाना।

प्रक्रिया – सुगमकर्ता द्वारा सदन को दो समूहों में बाँटा जायेगा तथा पूर्व में दिखाये गये चित्रों में से कोई एक चित्र जैसे–उगता हुआ सूर्य एवं सूर्यग्रहण का चित्र दिखाते हुए एक समूह को उगता हुआ सूर्य और दूसरे समूह को सूर्य ग्रहण का नाम दिया जायेगा। तत्पश्चात् प्रत्येक समूह द्वारा अपने नाम के अनुसार बच्चों में विकसित किये जा सकने वाले मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को बताने हेतु कहा जाये।

सुगमकर्ता द्वारा प्राप्त उत्तरों को बोर्ड पर अंकित किया जाये। तत्पश्चात् समूह से मूल्य विकास पर चर्चा की जाये।

नोट – समयानुसार और भी चित्र दिखाकर गतिविधि कराई जा सकती है।

चर्चा परिचर्चा – सुगमकर्ता द्वारा समूह से चर्चा की जायेगी कि एक ही प्रकरण विभिन्न विषयों से सम्बन्धित हो सकता है तथा उसके द्वारा मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों के विकास में सुगमता हो सकती है।

गतिविधि 2 – शिक्षण योजना

उद्देश्य – प्रतिभागी शिक्षकों को मूल्य आधारित अन्तर्विषयी शिक्षण योजना तैयार करने में सक्षम बनाना।

प्रक्रिया – सत्र के प्रारम्भ में संचालित गतिविधियों द्वारा अन्तर्विषयी सम्बन्ध एवं उनके द्वारा विकसित मूल्य के विषय में प्रतिभागी शिक्षकों को जागरूक/उन्मुखीकरण करने के पश्चात् सुगमकर्ता सदन में मूल्याधारित शिक्षण योजना पर अपने विचार साझा करें।

- शिक्षण योजना विद्यार्थियों को सिखाने की गतिविधियों का एक विस्तृत प्रारूप है जिसके अन्तर्गत शैक्षिक उद्देश्य, अपनायी जाने वाली विधियाँ, अधिगम सामग्री, बैठक व्यवस्था, अवधि, आकलन विधियाँ आदि सम्मिलित होती हैं।

- शिक्षण योजना बनाते समय हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक प्रकरण से कोई न कोई मानवीय और संवैधानिक मूल्य सम्बद्ध होता ही है।
- शिक्षण योजना बनाते समय अन्य उद्देश्यों के साथ ही विशेष रूप से यह भी उल्लिखित करना चाहिए कि प्रकरण द्वारा किन मूल्यों का विकास विद्यार्थियों में किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षण योजना में हमें संवर्द्धित मूल्य या समावेशित मूल्य का एक शीर्षक अलग से देना चाहिए।

सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागी शिक्षकों की संख्या के आधार पर सदन को समूहों में बाँटा जायेगा और प्रत्येक समूह को अपनी इच्छानुसार कोई ऐसा अन्तर्विषयी प्रकरण चुनने को कहा जायेगा जिसके द्वारा विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास किया जा सके।

तत्पश्चात् प्रत्येक समूह दिये गये प्रारूप के अनुसार मूल्य आधारित शिक्षण योजना तैयार करायी जाये।

नोट – सुगमकर्ता की सुविधा हेतु एक प्रतिदर्श शिक्षण योजना का प्रारूप संलग्न है।

प्रतिदर्श शिक्षण योजना

विषय – डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
कक्षा – 6–8
समय अवधि – 40–45 मिनट
एकीकृत विषय – विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा, कम्प्यूटर, कला।
शिक्षण विधियाँ – व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, चर्चा, समूह गतिविधि, उदाहरण विधि।
शिक्षण सहायक सामग्री – स्मार्ट बोर्ड/प्रोजेक्टर, चार्ट, वीडियो क्लिप, ब्लैकबोर्ड, चित्र/फ्लैश कार्ड।
बैठक व्यवस्था – विद्यार्थियों को समूहों में बैठाया जाये।
संवर्धित मूल्य–

- **मानवीय मूल्य –**
  उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सहयोग, सहानुभूति, अनुशासन
- **संवैधानिक मूल्य –**
  निजता का अधिकार (अनु. 21)ः व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा
  वैज्ञानिक दृष्टिकोण (अनु. 51A(h))ः तर्कसंगत सोच का विकास
  श्रेष्ठता हेतु प्रयास (अनु. 51A(j))ः जिम्मेदारी से तकनीक का प्रयोग

सामान्य उद्देश्य

1. विद्यार्थियों को डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की जानकारी देना।
2. विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान से इसे जोड़कर बहुविषयक दृष्टिकोण विकसित करना।
3. विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या–समाधान की क्षमता विकसित करना।
4. विद्यार्थियों में उत्तरदायित्वपूर्ण डिजिटल व्यवहार के साथ–साथ मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का विकास करना।

विशिष्ट उद्देश्य

सत्र के अंत में विद्यार्थी सक्षम होंगे–

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिभाषा एवं दैनिक जीवन में इसके उपयोग तथा लाभ एवं हानियों का विश्लेषण करना।
2. AI से जुड़े संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को पहचानना।
3. उत्तरदायित्व, सहयोग, सहानुभूति जैसे मानवीय मूल्यों को अपनाना।

शिक्षण प्रक्रिया/क्रम

- **परिचय**

प्रश्न – "क्या आपने कभी गूगल असिस्टेंट या चैटबॉट से बात की है?"
लघु वीडियो क्लिप दिखाना – जिसमें AI के उपयोग (जैसे ड्राइवरलेस कार, मोबाइल फेस लॉक) हों।
https://youtu.be/4BYFJwZ4QE0?si=ciWdlHD2fY3PVUyx
https://youtube.com/shorts/Ht8YN0-gQXs?si=Udxk9__UOQA6PSLX
सामूहिक चर्चा – "हम अपने दैनिक जीवन में AI का प्रयोग किन क्षेत्रों में करते है?"

- **प्रस्तुतीकरण व विकास**

  संकल्पना निर्माण (विज्ञान व कंप्यूटर) – AI की सरल परिभाषा देना (मशीनों की बुद्धिमत्ता)
  उदाहरणः मोबाइल का फेस लॉक।
- **बहुविषयक संबंध :**

  विज्ञान – स्वास्थ्य, रोबोटिक्स, पर्यावरण संरक्षण
  गणित – डेटा विश्लेषण, सांख्यिकी, ग्राफ
  सामाजिक विज्ञान – रोजगार, अर्थव्यवस्था, शासन
  भाषा – निबंध, वाद–विवाद (AI वरदान है या अभिशाप?)
  कला – पोस्टर निर्माण – भविष्य और AI
- **समूह गतिविधि :**

  तीन समूह बनाए जाएँ –
  1. शिक्षा व स्वास्थ्य में AI
  2. उद्योग व व्यवसाय में AI
  3. नैतिक चुनौतियाँ (प्राइवेसी, बेरोजगारी, दुरुपयोग)

  प्रत्येक समूह चार्ट/पोस्टर बनाकर 2–3 मिनट प्रस्तुति देगा।

चर्चा–परिचर्चा

शिक्षक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देंगे कि "AI एक शक्तिशाली साधन है, इसका प्रभाव इसके सही या गलत उपयोग पर निर्भर करता है।"

निष्कर्ष

"प्रौद्योगिकी हमारे लिए एक शक्तिशाली हथियार के समान है जिसका प्रयोग हम निर्माण के लिए भी कर सकते हैं और विनाश के लिए भी।"

मुख्य संदेशः "तकनीक तभी उपयोगी है जब वह मानवीय मूल्यों और जन कल्याण से जुड़ी हो।"

मूल्यांकन विधियाँ

निम्नलिखित मूल्यांकन विधियों द्वारा भी मूल्यों का समावेशन किया जा सकता है–

मौखिक प्रश्नोत्तर (AI की परिभाषा, उदाहरण, लाभ–हानि)
- जागरूकता, व्यक्ति की गरिमा, समान अवसर

समूह गतिविधि द्वारा मूल्यांकन
- समन्वय, सहयोग, नेतृत्व, क्षमता

गृह कार्य : "AI का हमारे जीवन में एक सकारात्मक और एक नकारात्मक प्रभाव"।

विषय– शिक्षण योजना का प्रस्तुतीकरण

महान शिक्षक बच्चों के साथ सहानुभूति रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं और मानते हैं कि हर एक में कुछ विशेषताएँ हैं जिस पर आगे काम किया जा सकता है। ——एम0 लीबरमैन

अवधि–90 मिनट

सत्र उद्देश्य – इस सत्र के पश्चात् प्रतिभागी शिक्षक निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी समझ विकसित कर सकेंगे–

- विषयवस्तु के साथ–साथ मानवीय मूल्यों और संवैधानिक आदर्शों की समझ विकसित करना।
- अन्तर्विषयी संबंधों की समझ विकसित करना।
- मूल्य निहित अन्तर्विषयी प्रकरणों द्वारा विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व को विकसित करने में सक्षम बनाना।

आवश्यक सामग्री – प्रतिभागी शिक्षक समूहों द्वारा बनाई गयी शिक्षण योजना।

सत्र निर्देश – पूर्व दिवस में दिये गये मूल्याधारित प्रकरण पर सभी समूहों को 10–12 मिनट अपनी शिक्षण–योजना के प्रस्तुतीकरण के लिए दिये जायेंगे।

प्रक्रिया – सभी प्रतिभागी समूहों द्वारा मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को समावेशित करते हुए अपनी शिक्षण योजना का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

चर्चा–परिचर्चा – सुगमकर्ता समूहों से चर्चा करें कि अन्तर्विषयी संबंधों के साथ विभिन्न मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति को अधिक सरल व प्रभावी बनाया जा सकता है।

प्रतिदर्श शिक्षण योजना

विषय – "जल : जीवन का आधार, अधिकार एवं कर्तव्य"
कक्षा – 6 से 8
अवधि – 40 मिनट
एकीकृत विषय – विज्ञान, भूगोल, गणित, नागरिक शास्त्र (सामाजिक विज्ञान), हिन्दी साहित्य।
शिक्षण सामग्री – चार्ट पेपर, जलचक्र मॉडल, विश्व एवं भारत का मानचित्र, ग्राफ शीट, प्रोजेक्टर/स्मार्ट बोर्ड, वर्कशीट, स्थानीय जल स्रोतों की तस्वीरें आदि।
शिक्षण विधि – व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, समूह चर्चा विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रदर्शन विधि, परियोजना कार्य विधि, सहकारी अधिगम विधि, कथा वाचन विधि, काव्य पाठ विधि।
बैठक व्यवस्था – विद्यार्थियों को समूहों में बैठाया जाये।
संबद्ध मूल्य –

मानवीय मूल्यः पर्यावरणीय चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व, सहयोग एवं सहभागिता, नैतिकता एवं अनुशासन, सृजनात्मकता।

संवैधानिक मूल्य :

1. **जीवन का अधिकार –** अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ जल प्रत्येक नागरिक के जीवन का मूल अधिकार है।
2. **पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य–** अनुच्छेद 48–A के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों और जल का संरक्षण करना।
3. **समानता का अधिकार** – अनुच्छेद 14 के अनुसार जल–संसाधनों का समान वितरण और सभी के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करना।

सामान्य उद्देश्य –

- विद्यार्थियों में जल के वैज्ञानिक, सामाजिक, गणितीय, संवैधानिक और साहित्यिक महत्त्व का समग्र बोध कराते हुए उन्हें जल–संरक्षण के प्रति उत्तरदायी, संवेदनशील तथा सक्रिय नागरिक बनाना।

विशिष्ट उद्देश्य –

पाठ के अन्त में विद्यार्थी सक्षम होंगे –

- जलचक्र, जल की अवस्थाओं तथा संरक्षण की पारम्परिक और आधुनिक विधियों को समझकर अपने आस–पास जल बचाने के उपाय साझा करने में।
- परिवार और विद्यालय के जल–उपयोग के आँकड़े एकत्र कर उनका औसत निकालने, चार्ट अथवा ग्राफ तैयार करने और निष्कर्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 48–A के आधार पर स्वच्छ जल के अधिकार को पहचानने और नागरिक कर्तव्यों का पालन करने में।

शिक्षण प्रक्रिया –

परिचय –

प्रश्न – यदि हमारे पास स्वच्छ जल न हो तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उदाहरण –

वीडियो क्लिप द्वारा – सूखे गाँव की स्थिति, जल संकट और पानी के लिए चलने वाले लोग।

तस्वीरों द्वारा – नदी, तालाब, कुएँ और झरना–जल स्रोत।

ग्राफ/चार्ट द्वारा– जल उपयोग का आँकड़ा और उसका विश्लेषण।

चर्चा – जल का महत्व और संरक्षण के उपाय विद्यार्थियों को समझाना।

प्रस्तुतीकरण एवं विकास – शिक्षक द्वारा प्रकरण का आरम्भ जल के महत्व पर एक कविता के माध्यम से किया जा सकता है –

जल से ही सब जीवन पाते,
जल बिन जीवित न रह पाते,
जल को क्यों फिर व्यर्थ बहाते,
बात जरा सी समझ न पाते,
जल से ही धरती पर जीवन,
जल से ही है वन और उपवन,
जल ही है जीवन का आधार,
जल को न करो व्यर्थ बेकार।

सुगमकर्ता द्वारा जल के वैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक पहलुओं को जोड़कर उसका महत्व, संकट और संरक्षण के विषय में चर्चा की जायेगी।

बहुविषयक संबंध :

विज्ञान : जलचक्र, जल की अवस्थाएँ, वर्षा की प्रक्रिया और जीवन में जल का महत्त्व।

भूगोल : नदियाँ, तालाब, झरना, कुएँ और स्थानीय जल स्रोत जल वितरण।

गणित : जल–उपयोग के आँकड़े व औसत।

नागरिक शास्त्र : अनुच्छेद 21 और 48–A, स्वच्छ जल का अधिकार और नागरिक कर्तव्य।

हिन्दी साहित्य : जल पर आधारित कविता का पठन–पाठन।

समूह गतिविधि : जल बचाओ नाटक

- **समूह गठन –** कक्षा को 4–5 विद्यार्थियों के छोटे समूहों में बाँटा जाएगा।
- **कार्य –** प्रत्येक समूह 2–3 मिनट का **लघु नाटक/भूमिका–अभिनय** तैयार करेगा, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी में जल व्यर्थ होने की समस्या और उसे बचाने के उपाय दिखाए जाएँगे।
- **प्रस्तुति –** सभी समूह क्रम से मंच पर अपना नाटक प्रस्तुत करेंगे।

यह गतिविधि **सहयोग, संवाद कौशल, रचनात्मकता** और **जल–संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी** को मजबूत करेगी।

मूल्यांकन विधियाँ :

मूल्यांकन विधि	उपविषय (Topic)	विकसित होने वाले मूल्य (सामाजिक, संवैधानिक, साहित्यिक)
प्रश्न/उत्तर	जल का वैज्ञानिक महत्त्व और सामाजिक उपयोग	वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक उत्तरदायित्व, **संवैधानिक जागरूकता** (स्वच्छ जल का अधिकार)
समूह चर्चा	जल संकट और समाज में प्रभाव	सहयोग एवं सहभागिता, संवेदनशीलता, **नागरिक कर्तव्य** (जल संरक्षण)
ग्राफ/चार्ट बनाना	जल–उपयोग डेटा और विश्लेषण	तार्किक सोच, गणितीय कौशल, जिम्मेदारी, **सामाजिक उत्तरदायित्व**

इस शिक्षण योजना **'जल : जीवन का आधार, अधिकार और कर्तव्य'** के माध्यम से विद्यार्थियों ने जल के वैज्ञानिक, सामाजिक, और साहित्यिक महत्व को समझा। विद्यार्थी अब जल संरक्षण के लिए सक्रिय, जिम्मेदार और संवेदनशील दृष्टिकोण अपना सकते हैं जिससे वे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में जल का सही उपयोग सुनिश्चित कर सके।

विश्व जल दिवस संदर्भ

प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को 'विश्व जल दिवस' मनाया जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि जल संरक्षण केवल आज का नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का वैश्विक संकल्प है।

विषय– विद्यालय एवं कक्षा प्रबंधन

Values are caught, not taught. Schools must embody the values they wish to inculcate.

----Thomas Lickona

अवधि –90 मिनट

सत्र उद्देश्य – इस सत्र के पश्चात् प्रतिभागी शिक्षक निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी समझ विकसित कर सकेंगे–

- प्रभावी प्रबन्धन कौशल एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करना।
- लोकतांत्रिक कक्षा–कक्ष वातावरण का निर्माण करने की क्षमता विकसित करना।
- विद्यालयी वातावरण एवं कक्षा–कक्ष को अधिक समग्र, समावेशी और प्रभावी बनाने की क्षमता विकसित करना।
- सकारात्मक अनुशासन को प्रोत्साहित करने की क्षमता का विकास करना।

आवश्यक सामग्री – पी०पी०टी०, चार्ट पेपर, स्टिकी नोट, पेंसिल, स्केच पेन, स्केल, कलर एवं अन्य स्टेशनरी आदि।

सत्र संचालन भाग (1) विद्यालय प्रबन्धन में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य

सुगमकर्ता द्वारा सत्र का प्रारम्भ प्रतिभागियों से निम्नलिखित प्रश्नों को पूछते हुए किया जाये –

प्रश्न – आपके विद्यालय में चुनौतीपूर्ण स्थिति क्या होती है और आप उसे किस प्रकार संभालते हैं ?

प्रश्न – अपने विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाने के लिए आप किन–किन तरीकों का उपयोग करते है?

विद्यालय प्रबंधन (मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य के परिप्रेक्ष्य में)– सुगमकर्ता द्वारा उपरोक्त प्रश्नों के आधार पर प्रतिभागियों के साथ चर्चा की जाये और प्रतिभागियों द्वारा दी गयी प्रतिक्रियाओं को बोर्ड पर अंकित किया जाये। तत्पश्चात् पी०पी०टी० की सहायता से प्रस्तुतीकरण द्वारा विद्यालय प्रबन्धन और इसकी आवश्यकताओं को समझाया जाये।

विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जहाँ पर विद्यार्थी लोकतांत्रिक, नैतिक और मानवीय मूल्यों को व्यवहार में परिणित करते हैं। अतः विद्यालय प्रबंधन में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। एक विद्यालय प्रबंधन तभी सफल माना जा सकता है जब वहाँ के विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय सभी को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।

विद्यालय प्रबंधन में मानवीय मूल्य

- **समान अवसर** – सभी विद्यार्थियों को समान रूप से शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार।
- **सहानुभूति** – सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों की आवश्यकताओं व भावनाओं को समझ कर उनके साथ व्यवहार करना।
- **संवेदनशील वातावरण** – बालिकाओं, दिव्यांग और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए सहयोगात्मक वातावरण का सृजन करना।
- **नैतिक नेतृत्व** – प्रधानाचार्य और शिक्षक द्वारा अपने व्यवहार से आदर्श प्रस्तुत करना।
- **सहयोग एवं सहभागिता** – विद्यालय प्रबंधन समिति में अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- **अहिंसा और करुणा का अभ्यास** –कठोर दंड के स्थान पर परामर्श और स्नेहपूर्ण सुधार करना।
- **ईमानदारी** – विद्यालय के समस्त कार्यों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना।
- **सम्मान** – विद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करते हुए सभी का सम्मान करना।
- **शांति** – विद्यालय में शान्तिपूर्ण, संघर्ष–मुक्त और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना।

विद्यालय प्रबंधन में संवैधानिक मूल्य

- **न्याय** – सभी विद्यार्थियों व कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करते हुए समान अवसर प्रदान करना।
- **समावेशी शिक्षा** – बालिका, दिव्यांग, वंचित समुदाय के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान।
- **लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया** – निर्णय प्रक्रिया में विद्यालय प्रबंधन समिति, अभिभावक – शिक्षक संघ, विद्यार्थी परिषद की भागीदारी।
- **बंधुत्व** – विद्यालय में आपसी भाईचारा एवं सहयोग का वातावरण निर्मित करना।
- **धर्मनिरपेक्षता** –किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव न रखना व सभी धर्मों का सम्मान करना।
- **नैतिक व पारदर्शी प्रशासन** – संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग, शोषण/भेदभाव मुक्त विद्यालय परिसर।
- **सांस्कृतिक विविधता का सम्मान एवं प्रोत्साहन** – विद्यालयी उत्सव, भाषाई विविधता और कला–संस्कृति को प्रोत्साहन।

विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र जहाँ मूल्यों का प्रयोग आवश्यक है–

- **कक्षा प्रबंधन** – लोकतांत्रिक वातावरण, सकारात्मक अनुशासन।
- **अभिभावक भागीदारी** – शिक्षक संवाद, पारदर्शिता, विश्वास और सहयोग।
- **समावेशी शिक्षा** – विशेष आवश्यकता वाले एवं वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करना ।
- **विद्यालयी गतिविधियाँ** – प्रार्थना सभा, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मूल्य–आधारित गतिविधियाँ।
- **संसाधनों का प्रबंधन** – विद्यालय भवन, पुस्तकालय, खेल सामग्री आदि का समान उपयोग।
- **निर्णय प्रक्रिया** – सहकर्मियों और विद्यार्थियों की भागीदारी से सामूहिक निर्णय।

विद्यालय प्रबंधन हेतु रणनीतियाँ

- लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली अपनाना।
- छात्र परिषद/बाल संसद का गठन।
- अभिभावक–शिक्षक संघ को सक्रिय बनाना।
- समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की प्रणाली विकसित करना।
- सहयोगात्मक सीखने के वातावरण और समूह कार्य को बढ़ावा देना।

SWOT/SWOC विश्लेषण

विद्यालय एवं कक्षा–प्रबन्धन में SWOT विश्लेषण एक ऐसी प्रविधि है जो स्कूल की आन्तरिक शक्तियों (Strengths) और कमजोरियों (Weakness) और अवसरों (Opportunites) और खतरों (Threats/Challanges) अथवा चुनौतियों का मूल्यांकन करता है जिससे विद्यालय अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बेहतर योजना का निर्माण कर सकें। साथ ही उचित निर्णय ले सकें। मूल्यपरक शिक्षा हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम लक्ष्यों के अनुक्रम में विद्यालय और कक्षा का अनुक्रम निर्धारित करें। इसके

लिए आवश्यक है कि विद्यालय/कक्षाओं का SWOT वर्तमान में SWOC विश्लेषण अवश्य किया जाये जो हमें उचित/सही निर्णय लेने में मदद करता है।

SWOT/SWOC विश्लेषण के चार घटक (विद्यालय सन्दर्भ में)

आंतरिक सकारात्मक पहलू	आन्तरिक नकारात्मक पहलू
• कुशल शिक्षक	• अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा
• उच्च शैक्षणिक उपलब्धि	• प्रबन्धन में कमी
• अच्छे संसाधन	• कम छात्र नामांकन
• सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था	• वित्त की कमी

बाहरी कारक/अवसर	बाहरी कारक जो चुनौती बन सकते है
• नई तकनीकी का उपयोग	• बढ़ती प्रतिस्पर्धा
• सरकारी सहायता	• बदलती शैक्षिक नीतियाँ
• सामुदायिक भागीदारी	• वित्तीय अस्थिरता

विद्यालय प्रबन्धन में SWOC विश्लेषण का उपयोग

1. **रणनीतिक योजना** – विद्यालय प्रबन्धन मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाने, संसाधन एकत्र करने, संसाधनों के विवेकपूर्ण व सार्थक उपयोग एवं कमजोरियों/कमियों को दूर करने की रणनीतियाँ बना सकता है। साथ ही अवसरों का लाभ उठाने व चुनौतियों से निपटने की योजना भी बना सकता है।
2. **निर्णय लेना** – यह विश्लेषण विद्यालय को उसकी वास्तविक व वर्तमान स्थिति से अवगत कराता है जिससे बेहतर व सार्थक निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
3. **प्रतियोगितात्मक सुधार** – अवसरों का लाभ उठाकर व चुनौतियों को पहचानकर, विद्यालय प्रबन्धन अन्य विद्यालयों की अपेक्षा बेहतर सुधार के कदम उठा सकता है।
4. **नामांकन में सुधार** – विद्यालय प्रबन्धन अपनी कमियों को दूर करके व सकारात्मक तत्वों में वृद्धि करके अधिक विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु आकर्षित कर सकता है।
5. **संसाधन आवंटन**– यह विश्लेषण उन क्षेत्रों को चिन्हित करने में सहायक होता है जहाँ सुधार की आवश्यकता है और अपने संसाधनों को बेहतर व प्रभावी ढंग से आवन्टित कर सकता है।
6. **प्रतिष्ठा संवर्द्धन (ब्रांड डेवलपमेंन्ट)**– यह विश्लेषण विद्यालय को उसकी स्थिति से अवगत कराता है तथा विद्यालय को एक ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सहायता करता है।

गतिविधि 1 – आओ अपनी कक्षा को जानें।

उद्देश्य – SWOC विश्लेषण के माध्यम से प्रतिभागी शिक्षकों को अपनी कक्षा हेतु बेहतर निर्णय लेने में समर्थ बनाना।

सामग्री – प्रतिभागियों की संख्या के अनुसार SWOC प्रपत्र, पेपर एवं पेन आदि।

प्रक्रिया –

- सुगमकर्ता सभी प्रतिभागियों को SWOC प्रपत्र दे।
- प्रपत्र देने के उपरान्त निश्चित समयावधि में प्रतिभागी शिक्षक अपने विद्यालय/कक्षा का SWOC विश्लेषण पत्रक पर करें।
- सुगमकर्ता 3–4 प्रतिभागियों का SWOC विश्लेषण सदन के साथ साझा करे।

चर्चा परिचर्चा – सुगमकर्ता SWOC विश्लेषण के आधार पर प्राप्त विश्लेषण पत्रकों की शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के महत्व पर चर्चा के साथ गतिविधि समेकित करते हुए सत्र को दिशा प्रदान करे।

सुगमकर्ता प्रतिभागियों को पी0पी0टी0 के माध्यम से उत्कृष्ट विद्यालय एवं सामान्य विद्यालय की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उनके बीच के अन्तर को समझायेंगे –

विशेषताएँ	उत्कृष्ट विद्यालय (श्रेष्ठ/गुणवत्तापूर्ण विद्यालय)	सामान्य विद्यालय
दृष्टिकोण	विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर केंद्रित।	अपनी आंतरिक आवश्यकताओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित।
प्रबंधन की भूमिका	गुणवत्तापूर्ण नीतियों और योजनाओं का निर्माण करना।	केवल नियंत्रण और नियम लागू करना।
शिकायतों का निवारण	शिकायतों को सुधार के अवसर के रूप में लेना।	शिकायतों को अनदेखा करना या उन पर ध्यान न देना।
कर्मचारी	अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट होते हैं।	भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को लेकर अक्सर अनिश्चितता होती है।
मूल्यांकन	व्यवस्थित और नियमित मूल्यांकन प्रणाली होती है।	कोई व्यवस्थित मूल्यांकन प्रणाली नहीं होती।
योजना	दीर्घकालिक और भविष्य–उन्मुख योजनाएँ बनाना।	केवल अल्पकालिक योजनाएँ बनाना।
संस्कृति	गुणवत्ता को अपनी संस्कृति का अभिन्न अंग मानता है।	गुणवत्ता को एक बोझ या अतिरिक्त कार्य के रूप में देखता है।
मिशन	एक स्पष्ट मिशन और दृष्टिकोण होता है।	कोई स्पष्ट मिशन नहीं होता।

गतिविधि 2 – आओ समाधान खोजे

उद्देश्य – विद्यालय में मूल्य आधारित व्यावहारिक समस्याओं के समाधान का कौशल विकसित करना।

गतिविधि पूर्व तैयारी – सुगमकर्ता विद्यालय प्रबंधन में निहित कुछ मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों से संबंधित समस्याओं पर आधारित कहानियाँ तैयार कर ले।

कहानी: "हमारा विद्यालय और हमारी चुनौतियाँ"

दृश्य 1 – भोजन का समय
मध्यावकाश में सभी बच्चे खाना खाने बैठें। परंतु कुछ बच्चों ने एक बच्चे को देखकर कहा –
"तुम हमारे साथ बैठ कर खाना मत खाओ, क्योंकि तुम्हारे कपड़े गंदे हैं।"
वह बच्चा चुपचाप कोने में बैठ गया और आँसू पोंछने लगा।

दृश्य 2 – कक्षा का मॉनिटर
शिक्षक ने अपनी कक्षा मे कहा –
"आज से राजू हमारी कक्षा का मॉनिटर होगा।" कक्षा के अन्य बच्चों ने धीरे से आपस में कहा कि "हमसे तो हमारे टीचर ने पूछा ही नहीं, क्या कक्षा मॉनिटर को चुनने मे हमारी राय का कोई महत्व नहीं?"

दृश्य 3 – आर्थिक असमानता
कक्षा नौ की एक छात्रा रीना के पास किताबें नहीं हैं।
कुछ शरारती बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि "अगर तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं तो तुम पढ़ाई करने क्यों आई हो? "इस बात को सुनकर वह बहुत दुःखी हो गयी परंतु रीना चुप रही और उसकी आँखों में आँसू आ गए।

दृश्य 4 – त्योहार का उत्सव
एक विद्यालय में धार्मिक सांस्कृतिक त्योहार मनाया जाना था। कुछ बच्चों का कहना था कि "हम सिर्फ अपना धार्मिक त्योहार मनाएँगे, किसी और के त्योहार हम नहीं मनाएँगे।" दूसरे बच्चे मायूस हो गए और विद्यालय में माहौल बँट–सा गया।

दृश्य 5 – विशेष आवश्यकता वाला बच्चा
एक बच्चा संजय, जो व्हीलचेयर पर चलता है, वह अन्य सब बच्चों को खेलते हुए देखता रहता है।
उसका मन भी खेलने के लिए करता है, पर कोई भी उसे खेलने के लिए नहीं बुलाता ।
वह अकेला ही चुपचाप व उदास बैठा रहता है।

दृश्य 6 – खेल का मैदान
विद्यालय के खेल के मैदान में प्रधानाचार्य ने देखा कि वहाँ कुछ बच्चे अलग–थलग, कुछ उदास, और कुछ आपस में झगड़ रहे हैं, इस तरह का वातावरण देखकर प्रधानाचार्य सोच में पड़ गए।

गतिविधि हेतु निर्देश –

- सुगमकर्ता प्रतिभागी शिक्षकों को 5 से 6 समूह में विभाजित करे।
- प्रत्येक समूह को कहानियों की पर्चियों में से एक पर्ची चयन करने को कहे।

- प्रत्येक समूह को चयनित पर्ची में लिखित कहानी से मूल्य आधारित समस्या की पहचान कर उस समस्या के समाधान का प्रस्तुतीकरण करने के लिए कहा जाये।

चर्चा परिचर्चा – सुगमकर्ता प्रतिभागी शिक्षकों से निम्नलिखित प्रश्नों के माध्यम से चर्चा परिचर्चा करते हुए विद्यालय प्रबंधन में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों की समझ व उनके प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करे।

प्रश्न – यदि आप वहाँ होते, तो क्या करते?
प्रश्न – विद्यालय प्रबंधन इन स्थितियों से कैसे निपट सकता है?

अन्त में सुगमकर्ता द्वारा विद्यालय प्रबंधन के महत्व पर चर्चा करते हुए गतिविधि का समेकन किया जाये। एक विद्यालय प्रबंधन तभी प्रभावी होगा जब उसमें संवैधानिक आदर्शों और मानवीय मूल्यों का समन्वय हो। प्रधानाचार्य और शिक्षक यदि इन मूल्यों को व्यवहार में उतारें तो विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र न रहकर समानता, भाईचारे, सहयोग और नैतिक आचरण का आदर्श केंद्र बन सकता है।

सत्र भाग – 2 कक्षा प्रबन्धन में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य

कक्षा प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों के लिए एक सकारात्मक और अनुकूल सीखने का वातावरण बनाने हेतु आवश्यक रणनीतियों का उपयोग करते हैं। विद्यालय और कक्षा वह स्थान है जहाँ बच्चे समाज के मूल्यों, आचरण और जीवन कौशल सीखते हैं। परंपरागत रूप से कक्षा प्रबंधन को केवल अनुशासन बनाए रखने का साधन माना जाता था, परन्तु आधुनिक शिक्षाशास्त्र यह मानता है कि कक्षा प्रबंधन वास्तव में विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक, समावेशी एवं समतामूलक तथा मूल्यपरक वातावरण प्रदान करने की कला है। यह कला तभी सार्थक होगी जब कक्षा प्रबन्धन में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को मूल आत्मा के रूप में स्थान दिया जाए।

कक्षा प्रबंधन के प्रमुख पहलू

- **भौतिक व्यवस्था** – बैठने की व्यवस्था ऐसी हो जिससे सहयोग और सहभागिता बढ़े।
- **अनुशासन प्रबंधन** – दंड के स्थान पर सकारात्मक प्रोत्साहन और सहानुभूतिपूर्ण संवाद।
- **समावेशी कक्षा** – विशेष आवश्यकता वाले, पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को समान अवसर।
- **शिक्षण अधिगम प्रक्रिया** – गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य, समूह कार्य और लोकतांत्रिक चर्चा।
- **मूल्य–आधारित गतिविधियाँ** – कहानियाँ, नाटक, भूमिका – अभिनय और वास्तविक जीवन प्रसंग।

कक्षा प्रबंधन में मानवीय मूल्यों का महत्व

- **सहानुभूति –** कमजोर एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की भावनाओं को समझना।
- **करुणा –** अध्ययन सम्बन्धी कठिनाइयों में विद्यार्थियों की सहायता करना।
- **सहयोग –** कक्षा में सहयोगात्मक वातावरण, जैसे समूह कार्य और सहपाठी अधिगम को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- **ईमानदारी –** निष्पक्ष मूल्यांकन कार्य और पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
- **सम्मान** – प्रत्येक विद्यार्थी के विचार और व्यक्तित्व को सम्मान देना।
- **शांति –** तनावमुक्त, सौहार्दपूर्ण और हिंसा – रहित वातावरण का निर्माण करना।

कक्षा प्रबंधन में संवैधानिक मूल्यों का महत्व

- **न्याय** – प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने की प्रक्रिया में समान रूप से प्रतिभाग करने के अवसर उपलब्ध कराना।
- **समानता** – जाति, लिंग, भाषा, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव रहित व्यवहार करना।
- **स्वतंत्रता** – प्रश्न पूछने, विचार रखने और रचनात्मकता व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करना।
- **बंधुत्व** – सहयोग और भाईचारे के वातावरण का निर्माण करना।
- **लोकतंत्र** – कक्षा निर्णयों में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करना।

गतिविधि 3 – चित्रों के माध्यम से मूल्य अभिव्यक्ति

उद्देश्य – प्रतिभागी शिक्षकों में रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से मूल्यों को आत्मसात कराना।

गतिविधि पूर्व तैयारी – सुगमकर्ता द्वारा कक्षा प्रबंधन के क्षेत्रों में निहित कुछ मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों की सूची तैयार किया जायेगा।

गतिविधि हेतु निर्देश/प्रक्रिया–

- सुगमकर्ता प्रतिभागी शिक्षकों को 4 से 5 समूह में विभाजित करे।
- सुगमकर्ता प्रत्येक समूह को पर्ची द्वारा मूल्य का चयन करने को कहे।
- सुगमकर्ता प्रत्येक समूह को चयनित पर्ची में लिखित मूल्यों पर चार्ट पेपर पर चित्र बनाते हुए स्लोगन/संदेश तैयार करने को कहे।
- प्रत्येक समूह द्वारा मूल्यों पर तैयार चित्र के माध्यम से प्रस्तुतीकरण कराया जाये।

चर्चा परिचर्चा – सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागी शिक्षकों से चर्चा–परिचर्चा के साथ विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कक्षा प्रबन्धन में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों की व्यावहारिक समझ व उनके प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करते हुए सत्र का समेकन किया जायेगा।

विषय – मूल्यों के विकास में परिवार एवं समाज की भूमिका

एक अच्छे समाज और संस्कारित परिवार में पलने वाला बालक भविष्य में राष्ट्र का आदर्श नागरिक बनता है।
–स्वामी विवेकानन्द

अवधि –90 मिनट

सत्र उद्देश्य – इस सत्र के पश्चात् प्रतिभागी शिक्षक निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी समझ विकसित कर सकेंगे–

- मूल्यों के विकास में परिवार एवं समाज की भूमिका को समझाना।
- विद्यार्थी के समग्र विकास की प्रक्रिया में परिवार एवं समाज के महत्व को स्पष्ट करना।
- परिवार, समाज एवं विद्यालय के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक रणनीतियों से परिचित कराना।

आवश्यक सामग्री – पी०पी०टी०, रंगीन चार्ट पेपर, स्टिकी नोट, स्केच पेन, स्केल, कैंची, पेंसिल, बोर्ड, मार्कर एवं अन्य स्टेशनरी आदि।

सत्र संचालन– सुगमकर्ता द्वारा सत्र का प्रारंभ पी0पी0टी0 के माध्यम से निम्नलिखित चित्रों को प्रदर्शित करते हुए किया जाये –

चित्र प्रदर्शित करने के उपरान्त सुगमकर्ता शिक्षकों से निम्न प्रश्न पूछे–

प्रश्न 1 – प्रदर्शित किये गये चित्रों में आपको कौन से मूल्य प्रदर्शित होते हुए दिखायी दे रहे हैं?
प्रश्न 2 – परिवार मूल्यों को विकसित करने में क्या भूमिका निभा रहा है?

प्रतिभागी शिक्षक बारी–बारी से प्रत्येक चित्र पर अपने विचार रखेंगे तथा प्रदर्शित मूल्यों को भी बतायेंगे। गतिविधि को समेकित करते हुए सुगमकर्ता द्वारा परिवार की भूमिका को पी0पी0टी0 के माध्यम से प्रस्तुतीकरण द्वारा समझाते हुए सत्र का प्रारम्भ किया जाये।

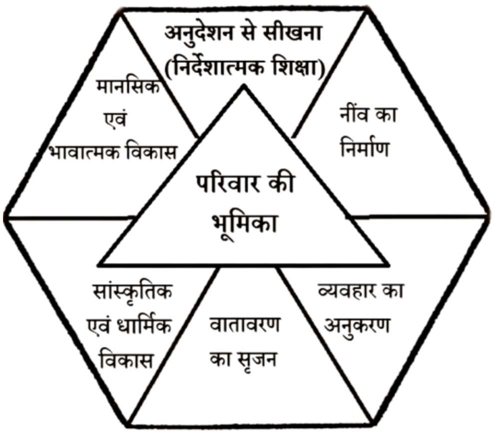

मूल्य विकास में परिवार की भूमिका — मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अहम होती है। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है जहाँ उसके नैतिक, समाजिक और भावनात्मक मूल्यों की नींव रखी जाती है। माता–पिता और बच्चों के बीच घनिष्ठ भावनात्मक लगाव के कारण मूल्यों का विकास परिवार के माध्यम से सबसे अधिक और प्रभावी होता है।

नींव का निर्माण – परिवार बच्चों की पहली पाठशाला होती है और उनकी नींव का निर्माण करती है। परिवार बच्चों को पहला सामाजिक समूह प्रदान करता है जहाँ बच्चे मूल्यों व संस्कारों को सीखते हैं।

व्यवहार का अनुकरण – बच्चों के लिए परिवार के सदस्य के रूप विशेष रूप से माता–पिता रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं और साथ ही वे उनकी नकल भी करते हैं, जैसे – माता–पिता यदि दूसरों के प्रति दया एवं सम्मान दिखाते हैं, तो बच्चे भी उनका अनुकरण करने के लिए इच्छुक होते हैं और दूसरों के साथ अपने व्यवहार में सहानुभूति तथा सम्मान का भाव रखते हैं।

वातावरण का सृजन– परिवार में खुले संवाद, आपसी सम्मान और सहानुभूति बच्चों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। नकारात्मक कार्यों को हतोत्साहित व सकारात्मक कार्यों को बढ़ावा देकर परिवार बच्चों को जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। बच्चे पारिवारिक वातावरण में मूल्यों को सीखते व आत्मसात करते हैं जिससे वे बड़े होकर सुयोग्य एवं उत्तरदायी नागरिक बनते हैं।

सांस्कृतिक व धार्मिक सीख – परिवार में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं, रीति रिवाजों, अनुष्ठानों एवं पर्वों के माध्यम से मूल्यों को संरक्षित तथा प्रसारित किया जाता है। ये सामूहिक अनुभव बच्चों को अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने, साझा मूल्यों को सदृढ़ कर परिवार के भीतर अपनत्व की भावना को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करते हैं।

मानसिक व भावनात्मक विकास – एक स्वस्थ एवं सुरक्षित पारिवारिक वातावरण बच्चों के मानसिक एवं भावनात्मक विकास में सहायक होता है। परिवार में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का मानसिक एवं भावनात्मक विकास तो होता ही है, साथ ही वह अपनी भावनाओं को नियन्त्रित करना व पारिवारिक मूल्यों का पालन करना भी सीखते हैं।

अनुदेशन से सीखना (निर्देशात्मक शिक्षा) — परिवार के सदस्यों के स्पष्ट निर्देशन एवं मार्गदर्शन के माध्यम से बच्चों में मूल्यों का संचार होता है। विभिन्न पारिवारिक रीति–रिवाजों एवं परम्पराओं के अनुपालन में वे ईमानदारी, साहस, प्रेम और भाईचारा जैसे मूल्य सीखते हैं।

गतिविधि 1 – परिवारिक मूल्य

उद्देश्य – मूल्य विकास में परिवार की भूमिका स्पष्ट करना।

प्रक्रिया –

- सुगमकर्ता प्रतिभागी शिक्षकों को पाँच समूहों में विभाजित करते हुए प्रत्येक समूह को चार्ट पेपर दें।
- प्रत्येक समूह को चार्ट पेपर पर अपनी रचनात्मकता के आधार पर एक ऐसा चित्र बनाये जो विद्यार्थियों में पारिवारिक मूल्यों जैसे – सहयोग, एक दूसरे का सम्मान, बड़ों का आदर, ईमानदारी आदि को विकसित करता हो।

चर्चा–परिचर्चा – सभी समूहों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया जाये तथा प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सुगमकर्ता निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर चर्चा करें–

प्रश्न 1 – परिवार के अलग–अलग सदस्यों का व्यवहार बच्चे के जीवन के विभिन्न पहलुओं को किस प्रकार सुदृढ़ बनाते हैं?

प्रश्न 2 – यदि परिवार की नींव कमजोर है तो क्या होगा?

अन्त में सुगमकर्ता द्वारा मूल्य विकास में परिवार की भूमिका को स्पष्ट करते हुए गतिविधि का समेकन किया जायेगा।

गतिविधि 1 – मूल्य और मुहावरा।

उद्देश्य – मुहावरों/लोकोक्तियों के माध्यम से पारिवारिक संस्कारों के महत्व को दर्शाना।

प्रक्रिया –

- प्रतिभागियों को पाँच समूहों में विभाजित करें।
- प्रत्येक समूह को तीन ऐसे मुहावरे/लोकोक्तियाँ का चयन करना है जो बच्चों में मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को विकसित करता हो।
- उदाहरण के लिए निम्नलिखित मुहावरे/लोकोक्तियाँ ऐसे हैं जो बच्चों के मानवीय मूल्यों के विकास से सम्बन्धित हैं।

मुहावरे/लोकोक्तियाँ	सम्बन्धित मूल्य
मेहनत का फल मीठा होता है।	परिश्रम एवं लगन।
एक और एक ग्यारह।	सहयोग एवं टीम भावना।
सच को आंच नहीं।	ईमानदारी।
नेकी कर दरिया में डाल।	निःस्वार्थ सेवा/करुणा।

चर्चा–परिचर्चा – सभी समूहों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया जाये तत्पश्चात् सुगमकर्ता मानवीय मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका को स्पष्ट करते हुए गतिविधि का समेकन करें।

मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका – मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका परिवार के बाद सबसे महत्वपूर्ण होती है। समाज एक व्यापक मंच प्रदान करता है जहाँ बालक अपने परिवार में सीखे हुए नैतिक और मानवीय मूल्यों का सुदृढ़ीकरण और विस्तार करते हैं।

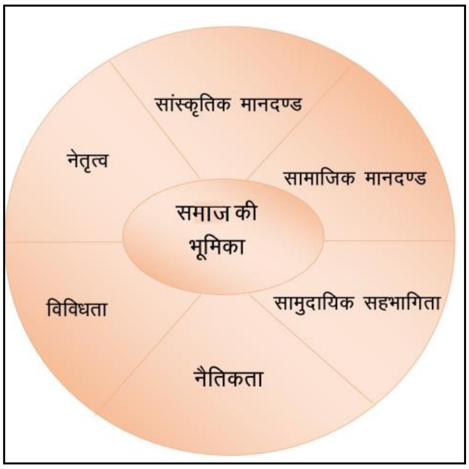

सांस्कृतिक मानदण्ड– प्रत्येक समाज में कुछ विशिष्ट परम्पराओं, रीति–रिवाजों और नियमों का पालन किया जाता है। समाज की इन परम्पराओं एवं रीति–रिवाजों का पालन करते हुए बच्चों/व्यक्तियों के चरित्र का विकास होता है। प्रेम, समानता, भाईचारे जैसे मूल्यों का विकास सांस्कृतिक मानदण्डों के आधार पर तय होता है।

सामाजिक मानदण्ड – समाज ऐसे मानक स्थापित करता है जो बच्चों/व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित करते हैं। विभिन्न सामाजिक अपेक्षायें, मूल्यों के संचार को नियंत्रित करती हैं। समाज के द्वारा अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन एवं बुरे कार्यों का हतोत्साहन भी मूल्यों के विकास को दिशा प्रदान करती हैं।

सामुदायिक सहभागिता – सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से व्यक्ति न केवल समाज में अपना योगदान सुनिश्चित करते हैं बल्कि स्वयं के मूल्यों का भी विकास करते हैं। बच्चों/व्यक्तियों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना के साथ आत्म–सम्मान, समानता, न्याय, अहिंसा, करुणा, सहानुभूति जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों का विकास होता है।

नैतिकता – नैतिकता और मूल्य विकास के मध्य गहरा सम्बन्ध होता है। नैतिकता के पालन में बच्चा/व्यक्ति एक और व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्यों का विकास करता है, वहीं दूसरी ओर नैतिकता के पालन के दौरान प्राप्त प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन से स्वयं को नैतिकता के मानदण्डों के अनुरूप ढालता है।

विविधता– विविध समाजों में रहने से बच्चे/व्यक्ति विभिन्न संस्कृतियों को जानते और समझते हैं जिससे बच्चों/व्यक्तियों में सहिष्णुता, समानता, परस्पर सहयोग और सम्मान जैसे मूल्यों का विकास होता है।

नेतृत्व – समाज का नेतृत्व उस समाज में बच्चों/व्यक्तियों को प्रेरित करता है। नेतृत्व द्वारा जिन मूल्यों को अपनाया जाता है वह मूल्य उस समाज में बच्चों/व्यक्तियों में प्रतिबिम्बित होने लगते हैं।

गतिविधि 3 – समाज का दर्पण

उद्देश्य –

- समाजिक मूल्यों की पहचान कराना।
- विद्यालय और समाज के बीच के सम्बन्ध को दर्शाना।
- एक उत्तरदायी नागरिक का निर्माण करना।

प्रक्रिया – सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागियों को पाँच समूहों में विभाजित करते हुए प्रत्येक समूह को समाज से जुड़ी एक समस्या दी जायेगी जैसे–

समस्या 1 – आस–पड़ोस में स्वच्छता का अभाव।

समस्या 2 –सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का उल्लंघन (जैसे – सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन न करना, दीवारों पर आपत्तिजनक पोस्टर्स लगाना, शोर मचाना)।

समस्या 3 – सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना एवं अनावश्यक तोड़फोड़ करना।

समस्या 4 – समाज में आपसी सहयोग एवं भाईचारे का अभाव।

समस्या 5 – पर्यावरण प्रदूषण सम्बन्धी समस्या जैसे – प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग, जलस्रोतों में गन्दगी डालना।

समस्या 6 – जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव।

अब प्रत्येक समूह को चार्ट पेपर दिया जाये जिसमें उसे सामाजिक दर्पण का निर्माण करना होगा जिसके निम्नलिखित भाग होंगे–

बायाँ भाग **(वर्तमान समाज का दृश्य)**	**दायाँ भाग** **(आदर्श समाज का दृश्य)**
➢ समस्या को दर्शाता हुआ एक नकारात्मक चित्र। ➢ समस्या को बुलेट प्वाइन्ट में भी लिखा जा सकता है।	➢ समस्या का समाधान दर्शाते हुए एक सकारात्मक चित्र। ➢ समस्या के समाधान को बुलेट प्वाइन्ट में भी लिखा जा सकता है। साथ ही संवर्द्धित मूल्यों को भी दर्शाया जाये।

चर्चा–परिचर्चा – प्रत्येक प्रतिभागी समूह अपनी समस्या तथा उससे सम्बन्धित आवश्यक मूल्य और कक्षा में उसको लागू करने की रणनीति प्रस्तुत करेगा।

सुगमकर्ता द्वारा गतिविधि को समेकित करते हुए बताया जाये कि शिक्षक का कार्य केवल विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान देना नहीं बल्कि उन्हें समाज का एक जिम्मेदार, क्रियाशील एवं मूल्यवान नागरिक बनाना भी है।

विद्यार्थियों में मूल्य निर्धारण हेतु परिवार एवं समाज के आवश्यक कदम –

- परिवार में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाये जो बच्चों में स्वस्थ मानसिकता का विकास करें।
- परिवार एवं समाज प्रत्येक रिश्तों का सम्मान कर बच्चों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें।
- परिवार द्वारा बच्चों में समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन सुनिश्चित किया जाये।
- समय–समय पर परिवार द्वारा ऐसी प्रेरक कहानियों एवं प्रंसगों पर बच्चों से चर्चा की जाये जिससे उनमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया और राष्ट्र समर्पण जैसे मूल्यों का विकास हो।
- परिवार एवं समाज द्वारा बच्चों के समक्ष ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत किया जाये जिससे बच्चों में जातिगत भेदभाव की धारणा विकसित न हो सके।

दिवस– तृतीय **सत्र–चतुर्थ**

विषय – मूल्यों के विकास में ध्यान एवं मांइडफुलनेस का महत्व

एक मूल्यवान जीवन ही एक सफल, सुखी और संतुलित जीवन की कुंजी है।

अवधि –90 मिनट

सत्र उद्देश्य – इस सत्र के पश्चात् प्रतिभागी शिक्षक निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी समझ विकसित कर सकेंगे–

सत्र उद्देश्य–

- आंतरिक मूल्यों को समझने में सक्षम बनाना।
- तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता का विकास करना।
- विद्यालय एवं कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने हेतु प्रोत्साहित करना।

आवश्यक सामग्री–

पी0पी0टी0, चार्ट पेपर, स्केच पेन, मार्कर एवं अन्य आवश्यक स्टेशनरी आदि।

सत्र संचालन–सुगमकर्ता द्वारा सत्र का प्रारम्भ मूल्य विकास में ध्यान एवं मांइडफुलनेस के महत्व को स्पष्ट करते हुए किया जाएगा–

> **मूल्य विकास में ध्यान एवं मांइडफुलनेस एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। यह विद्यार्थियों को बाहरी नियमों को सीखने की बजाय आंतरिक बदलाव लाने हेतु प्रेरित करता है। यह आत्मजागरूकता की नींव है जिसके बिना किसी भी तरह का वास्तविक आत्मसुधार या मूल्यविकास सम्भव नहीं है।**

मांइडफुलनेस द्वारा विद्यार्थियों में आत्म जागरूकता का विकास–

शिक्षक कुछ सरल गतिविधियों का प्रयोग कर विद्यार्थियों में आत्मजागरूकता का विकास कर सकते हैं–

1. कक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व शिक्षक सभी विद्यार्थियों को आँखे बंद करके 1–2 मिनट तक अपनी साँस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने को कहें।

   यह अभ्यास बच्चों को यह जानने में मदद करेगा कि उनका मन इस समय कहाँ है। क्या वह अपनी पिछली कक्षा के बारे में सोच रहें हैं? क्या वे थक गये हैं? यह प्रक्रिया उन्हें अपनी आंतरिक अवस्था को पहचानने का कौशल सिखाता है।

2. शिक्षक कक्षा में फीलिंग्स चार्ट (Feeling Chart) का निर्माण करके लगाये। वह दिन में बच्चों से अवश्य पूछें कि वे किस भावना का अनुभव कर रहें हैं।

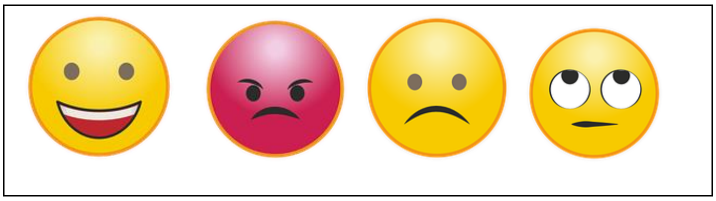

यह अभ्यास बच्चों को यह जानने में मदद करेगा कि भावनाएँ केवल शरीर की संवेदनाएँ होती हैं। उदाहरण के लिए जब हम क्रोध में होते हैं तो हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते जबकि जब हम खुश होते हैं तो हमारे अन्दर अनेकों विचार एवं कल्पनाओं का जन्म होता है।

3. स्टॉप टेक्नीक (STOP Technique) यह तकनीक विद्यार्थियों को संघर्ष एवं भावनात्मक चुनौतियों के समय आत्मजागरूकता का उपयोग करने में मदद करती हैं।

S	**रूकें (STOP)**	**जो भी कर रहें हैं उसे तुरन्त रोकें**
T	साँस लें (Take a Breath)	एक लम्बी एवं गहरी साँस लें
O	देखें (Observe)	अपने अंदर और आस–पास देखें, क्या महसूस हो रहा है
P	चुनें (Pick)	अपने मूल्यों के अनुरूप प्रतिक्रिया चुनें

यह अभ्यास विद्यार्थियों को सिखाता है कि किसी भी प्रतिक्रिया से पूर्व जागरूकता की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाए।

गतिविधि 1 – माइंडफुल ब्रीदिंग

उद्देश्य –

- ध्यान केन्द्रण, मन को शांत एवं स्थिर रखने तथा तनाव कम करने में सहायता करना।
- धैर्य और आत्मनियंत्रण का विकास।

प्रक्रिया – सुगमकर्ता सभी प्रतिभागी शिक्षकों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करायें–

- सभी प्रतिभागी अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं तथा जमीन पर पैरों को बराबर से रखें।
- आँखों को बंद करें।
- धीरे–धीरे साँस अंदर लें और 05 सेकेण्ड रूकें।
- धीरे–धीरे साँस बाहर निकालें और साँस की सनसनी पर ध्यान केंद्रित करें।
- यदि मन भटकने लगे तो धीरे से अपना ध्यान वापस साँस पर ले आएं।
- इस प्रक्रिया को 05 मिनट तक दोहराएँ।

चर्चा–परिचर्चा – उपरोक्त क्रिया के पश्चात् सुगमकर्ता प्रतिभागियों को स्पष्ट करे कि इस प्रकार की गतिविधि के माध्यम से तनाव को दूर करके धैर्य एवं आत्मनियंत्रण का विकास किया जा सकता है।

गतिविधि 2 – माइंडफुल इटिंग

उद्देश्य – इंद्रियों के प्रति जागरूकता विकसित करना।

सामग्री – प्रतिभागियों की संख्या के अनुसार किशमिश या टॉफी।

प्रक्रिया – सुगमकर्ता सभी प्रतिभागी शिक्षकों को किशमिश या टॉफी दें तथा निम्न निर्देशों का पालन करायें–

- सभी शिक्षक दिये गये किशमिश या टॉफी की रंग एवं बनावट को ध्यान से देखें।
- उसकी खुशबू को सूंघें।
- सभी शिक्षक दिये गये किशमिश या टॉफी को खा लें तथा खाते समय उसके स्वाद का अनुभव करें।
- उसे निगलने और पेट में जाने की प्रक्रिया पर ध्यान दें।

चर्चा–परिचर्चा – उपरोक्त क्रिया के पश्चात् सुगमकर्ता प्रतिभागियों से चर्चा करें कि किस प्रकार सजग और शांत रहकर कक्षा में अनुशासन और समानुभूति जैसे मूल्यों को बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकता है।

गतिविधि 3 – जिम्मेदारी का अनुभव

सुगमकर्ता निम्न प्रश्नों के आधार पर प्रतिभागियों से चर्चा करें–

प्रश्न 1 – यदि एक शिक्षक विद्यालय/कक्षा में देर से पहुँचता है तो वह विद्यार्थियों को कौन–सा मूल्य सिखा रहा है?

प्रश्न 2 – इसके विपरीत एक सजग और जिम्मेदार शिक्षक जो नियमित रूप से समय पर विद्यालय पहुँचता है, प्रत्येक कक्षाओं में जाता है तथा विद्यार्थियों की विषय से जुड़ी शंकाओं का समाधान करता है और विद्यार्थियों का रोल–मॉडल बनता है।

समेकन – सुगकमर्ता प्रतिभागियों को समझायें कि सच्ची जिम्मेदारी बाह्य दबाव के बजाय आन्तरिक सजगता से शुरू होती है।

शिक्षक – संकल्प

मैं, (अपना नाम), एक शिक्षक के रूप में, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ यह शपथ लेता/लेती हूँ कि –

- ❖ मैं प्रत्येक विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और नैतिक विकास के प्रति पूरी तरह समर्पित रहूँगा/रहूँगी। मैं उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं और जरूरतों को पहचानकर उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास करूँगा/करूँगी।
- ❖ मैं सभी विद्यार्थियों के साथ बिना किसी भेदभाव (जैसे जाति, धर्म, लिंग, पृष्ठभूमि या क्षमता) के समान और निष्पक्ष व्यवहार करूँगा/करूँगी। मैं अपनी कक्षा में सम्मान और समानता का वातावरण बनाए रखूँगा/रखूँगी।
- ❖ मैं अपने विषय का ज्ञान पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से प्रदान करूँगा/करूँगी और विद्यार्थियों में सत्य के प्रति जिज्ञासा और सम्मान के साथ मानवीय मूल्यों के विकास में सहयोग करूँगा/करूँगी।
- ❖ मैं अपने विद्यार्थियों में देश की समृद्ध संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करूँगा/करूँगी, ताकि वे एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन सकें।
- ❖ मैं स्वयं को एक आजीवन शिक्षार्थी मानूँगा/मानूँगी और अपने ज्ञान, शिक्षण तथा कौशल को निरंतर उन्नत करूँगा/करूँगी, ताकि मैं अपने विद्यार्थियों को सर्वोत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकूँ।
- ❖ मैं अपने जीवन और कार्यों से विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा/करूँगी।
- ❖ मैं इस शपथ का पालन आजीवन करूँगा/करूँगी और शिक्षक की गरिमा को बनाए रखूँगा/रखूँगी।

प्रेरणा गीत

ये नयी ज्योत नव शिक्षा की,
लायी है नव उजियारा।
हो आरंभ नए युग का अब,
मिटे तमस का तम सारा।।

ललक जगे सब के हृदय में,
अविरल आगे बढ़ने की।
कर बाधाओं को पार सभी,
इतिहास स्वर्णिम गढ़ने की।।

मगर भूल कर अच्छाई हम,
तेज भी इतना दौड़े ना।
चलें हाथ से हाथ मिलाकर,
किसी को पीछे छोड़े ना।।

बन जाएगा स्वर्ग यहीं,
यदि ऐसा हो भाईचारा।
हो आरंभ नए युग का अब,
मिटे तमस का तम सारा।।

सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा का,
मन में अपने भाव भरें।
नहीं किसी को दुःख पहुँचाएँ,
हर जीव से लगाव करें।।

किसी भी रूप में हो चाहे,
न भेदभाव स्वीकार करें।
भले अलग हो कोई कितना,
न हम अनुचित व्यवहार करें।।

ऊँच–नीच में मानवता का,
और ना हो अब बँटवारा।
हो आरंभ नए युग का अब,
मिटे तमस का तम सारा।।

प्रेरणा गीत

चाहे जूझना पड़े,
चाहे टूटना पड़े,
सच की राह पर भले,
क्यों न श्रांति ही मिले।

आएगी रुकावटें,
लगेगा टूट रहे तुम,
थाम हाथ सांच का,
डटे रहो, अड़ो तुम।

क्षमा का सूर्य तुमको,
सदा करेगा प्रज्वलित,
बढ़ेगा मान दुनिया में,
दिखेगा रास्ता सही।

आए कठिन परिस्थिति,
फिर भी जूझते रहो,
बनो स्त्रोत प्रेरणा का,
सबकी राह तुम बनो।

हृदय के तलों में तुम,
विनम्रता को यूँ भरो
करो विस्तार क्षमता का,
नैतिक गगन में तुम उड़ो।

विनम्रता नहीं है कोई,
सहमा हुआ बच्चा,
पवित्रता की ये पूँजी,
जमा करो, जमा करो।

करो गौर प्रकृति पर,
चलायमान है सभी।
चाहे वृक्ष हो, या पक्षी,
या हवा हो, या नदी।

चलना ही इस जीवन की,
पहचान है प्यारे,
रुका वही है दुनिया में,
जिसमें प्राण ही नहीं।।

प्रेरणा गीत

हम दीप ज्ञान के जलाएँगे,

हर मन में सवेरा लाएँगे।

भेदभाव की रेखा मिटाकर,

समानता का पाठ पढ़ाएँगे।

न्याय की राह पर चलकर,

सबको गले लगाएँगे।

भाषा, धर्म, जाति से ऊपर,

एकता का सूरज चमकाएँगे।

संविधान का पालन करके,

राष्ट्र का गौरव बढ़ायेंगे।

गुरु बनकर, मित्र बनकर,

जीवन को दिशा दिखाएँगे।

प्रेरणा गीत

बाल अधिकार जो बच्चों के हैं,
वह बच्चों को मिलने ही चाहिए।
वेशभूषा जाति और धर्म का,
भेदभाव होना ना चाहिए।

जन्म के साथ ही हर बच्चे को,
राष्ट्रीयता मिलनी ही चाहिए।
बच्चों को शिक्षा और संरक्षण,
आनंद और प्रेम मिलना चाहिए।

काया निरोगी रहे बच्चों की,
मदद वैद्य की मिलनी चाहिए।
ना हो शोषण; पालन पोषण,
उसका वो होना ही चाहिए।

खेलकूद कला नृत्य नाटिका,
शिक्षण भी होना ही चाहिए।
बाल अधिकार जो बच्चे के हैं,
वो बच्चो को मिलने ही चाहिए।

प्रेरक वीडियो लिंक

- ❖ **प्रेरक वीडियो लिंक 1 – https://youtu.be/jj3Y8DCJwXQ?si=MzqLVt57y0gRbqW9**
- ❖ **प्रेरक वीडियो लिंक 2– https://youtube.com/watch?v=Bi-7pho5XB8&feature=shared**
- ❖ **प्रेरक वीडियो लिंक 3 – https://youtu.be/mWZ6b_I-Djg?si=qAxmLOuq28t6rs4a**
- ❖ **प्रेरक वीडियो लिंक 4 – https://youtu.be/fUXdrl9ch_Q?si=Mn48Fy7JmI3cOphh**
- ❖ **प्रेरक वीडियो लिंक 5 – https://youtu.be/HisYsqqszq0?si=XChlSmDF591yZIHV**
- ❖ **प्रेरक वीडियो लिंक 6 – https://youtu.be/B7H1noB47xs?si=VBig2Qert5Y7mtcH**
- ❖ **प्रेरक वीडियो लिंक 7 – https://youtu.be/i-xnpm2N1ME?si=mcpo7Pw8zSDjrY0C**
- ❖ **प्रेरक वीडियो लिंक 8 – https://youtu.be/0XWzqUptsYU?si=GHdwv7i1nPvH4SJu**

पूर्व एवं पश्च आकलन प्रपत्र

1. इनमें से मानवीय मूल्य का चयन करिये ?

(क) अहिंसा (ख) सम्पत्ति
(ग) विलासिता (घ) प्रतियोगिता

2. संवैधानिक मूल्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

(क) नागरिकों को धार्मिक स्वतन्त्रता से वंचित करना (ख) समाज में असमानता को बढ़ावा देना।
(ग) नागरिकों में अधिकारों एवं कर्तव्यों का संतुलन स्थापित करना। (घ) शासन को निरंकुश बनाना।

3. माता–पिता का कौन–सा व्यवहार बच्चों में अच्छे मूल्यों को बढ़ावा देता है ?

(क) कठोर दण्ड (ख) सकारात्मक उदाहरण
(ग) उदासीनता (घ) अत्यधिक नियन्त्रण

4. बच्चों में मानवीय मूल्यों को बनाये रखने के लिए परिवार को सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए ?

(क) सरकारी योजनाएँ (ख) टी0वी0 के कार्यक्रम
(ग) स्कूल की फीस (घ) माता–पिता का आचरण

5. बदलते समय में बच्चों में मानवीय मूल्यों को विकसित करने के लिए परिवार को क्या करना चाहिए?

(क) बच्चों को अकेला छोड़ देना चाहिए। (ख) मीडिया व तकनीक के प्रयोग को संतुलित करना।
(ग) केवल आर्थिक सुविधा देना। (घ) स्कूल पर पूरी तरह निर्भर रहना।

6. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के अर्न्तगत किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है?

(क) 7 से 14 वर्ष (ख) 6 से 14 वर्ष
(ग) 6 से 12 वर्ष (घ) 12 से 18 वर्ष

7. मानवीय मूल्यों में कौन–सा मूल्य कक्षा प्रबन्धन को सबसे अधिक सुदृढ़ करता है?

(क) अनुशासन (ख) प्रतिस्पर्धा
(ग) विलासिता (घ) साम्राज्यवाद

8. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संवैधानिक मूल्यों का समावेश किसके माध्यम से सम्भव है?

(क) केवल परीक्षा से (ख) केवल पाठ्य–पुस्तक से
(ग) व्यवहार एवं गतिविधि से (घ) केवल पुरस्कार से

9. विद्यालय में 'सामूहिक प्रार्थना' गतिविधि का उद्देश्य क्या है?

(क) आध्यात्मिकता व एकता का भाव जगाना (ख) परीक्षा परिणाम सुधारना
(ग) दण्ड देना (घ) केवल औपचारिकता निभाना

10. विद्यालय में 'समूह कार्य' गतिविधियाँ किस मूल्य को प्रबल बनाती है?

(क) सहयोग व टीम भावना (ख) प्रतिस्पर्धा में कटुता
(ग) स्वार्थ परायणता (घ) केवल अंक प्राप्ति

11. निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएँ पाठ्य सहगामी क्रियाएँ नहीं हैं?

(क) खेलकूद (ख) पुस्तक वाचन
(ग) प्रार्थना (घ) विज्ञान प्रदर्शनी

12. मूल्यों के विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की क्या भूमिका है ?

(क) सहायक (ख) अवरोधक
(ग) मार्गदर्शक (घ) केवल मनोरंजन करना

13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2023 दोनों में शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य क्या माना गया है?

(क) अच्छे अंक प्राप्त करना (ख) संवेदनशीलता, जिम्मेदार और संवैधानिक मूल्यों से युक्त नागरिक बनाना
(ग) शिक्षा को मँहगा बनाना (घ) केवल प्रतियोगी परीक्षाओं पर ध्यान देना

14. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत भारतीय ज्ञान परम्परा का समावेश किस मूल्य को सुदृढ़ करता है ?

(क) सांस्कृतिक पहचान और मानवीय मूल्य (ख) हिंसा और भेदभाव
(ग) केवल औपचारिक शिक्षा (घ) प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ

15. भारत ने UN Convention on the Right of the Child (UNCRC) को कब स्वीकार किया?

(क) 1994 (ख) 1991
(ग) 1990 (घ) 1992

16. पॉक्सो, अधिनियम (POCSO Act) 2012 द्वारा बच्चों को किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गयी है?

(क) स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षा (ख) विद्यालयी दण्ड से सुरक्षा
(ग) यौन शोषण से सुरक्षा (घ) ये सभी

17. अन्तर्विषयक सम्बन्धों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(क) विषयों की संख्या बढ़ाना (ख) शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ना और मूल्यों का विकास करना
(ग) परीक्षा की तैयारी कराना (घ) पाठ्य–पुस्तक पर निर्भर करना

18. अन्तर्विषयक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(क) विद्यार्थियों को संवैधानिक मूल्यों से युक्त बनाना (ख) विषयों के बीच सहसम्बन्ध की समझ विकसित करना
(ग) प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराना (घ) शिक्षा को दुरूह बनाना

19. शिक्षण योजना का कौन–सा भाग मूल्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है?

(क) उद्देश्य और अपेक्षित अधिगम परिणाम (ख) गृहकार्य
(ग) शिक्षण अधिगम सामग्री (घ) पूर्व ज्ञान

20. राष्ट्रीय शिक्षा नीति मानवीय और संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने वाली शिक्षण योजना का अन्तिम लक्ष्य क्या है?

(क) विद्यार्थियों को जिम्मेदार, संवेदनशील नागरिक बनाना (ख) अंक प्राप्त करना
(ग) बिना भागीदारी का व्याख्यान (घ) जानकारियों को रटना

21. माता–पिता और बच्चों के बीच किस प्रकार का संवाद मूल्यों को सुदृढ़ करता है?
उत्तर–...

....

22. पाठ्य सहगामी क्रियाएँ क्या होती हैं?
उत्तर ....

....

23. शिक्षा नीतियों में संवैधानिक मूल्यों का समावेश भविष्य के नागरिकों के निर्माण में क्यों आवश्यक है ?
उत्तर ....

....

24. शिक्षा के अधिकार (**RTE ACT-2009**) का पालन कराने में शिक्षक और समाज दोनों की क्या भूमिका है ?
उत्तर ....

....

25. अन्तर्विषयक सम्बन्ध मानवीय और संवैधानिक मूल्यों के विकास में कैसे सहायक होते हैं?
उत्तर ....

....

26. परियोजना कार्य विद्यार्थियों में कौन–कौन से मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को विकसित करेगा ?
उत्तर – ....

....

27. मूल्य आधारित प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है ?
उत्तर – ....

....

प्रतिपुष्टि प्रपत्र (फीडबैक फॉर्म)

व्यक्तिगत जानकारी

1. नाम – ____________

2. पदनाम – ______________

3. विद्यालय/ संस्थान का नाम (पता सहित) –
____

4. मोबाइल नं0 –. ___________________

क : प्रशिक्षण की विषयवस्तु

1. प्रशिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट थे।
☐ पूर्णतः सहमत ☐ आंशिक सहमत ☐ तटस्थ ☐ असहमत

2. प्रशिक्षण के विषय मेरी आवश्यकता के अनुरूप थे।
☐ पूर्णतः सहमत ☐ आंशिक सहमत ☐ तटस्थ ☐ असहमत

3. उदाहरणों और अध्ययन–प्रकरणों से मूल्यों को समझने में सहायता मिली।
☐ पूर्णतः सहमत ☐ आंशिक सहमत ☐ तटस्थ ☐ असहमत

ख : प्रशिक्षक की प्रभावशीलता

4. प्रशिक्षक ने अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझाया।
☐ पूर्णतः सहमत ☐ आंशिक सहमत ☐ तटस्थ ☐ असहमत

5. प्रशिक्षक ने सहभागिता और संवाद को प्रोत्साहित किया।
☐ पूर्णतः सहमत ☐ आंशिक सहमत ☐ तटस्थ ☐ असहमत

6. प्रशिक्षण का वातावरण सकारात्मक और रोचक था।
☐ पूर्णतः सहमत ☐ आंशिक सहमत ☐ तटस्थ ☐ असहमत

ग : अधिगम एवं प्रभाव

7. इस प्रशिक्षण ने मुझे व्यक्तिगत मूल्यों पर चिंतन करने हेतु प्रेरित किया।
☐ पूर्णतः सहमत ☐ आंशिक सहमत ☐ तटस्थ ☐ असहमत

8. मैंने ऐसी उपयोगी विधियों/रणनीतियों को सीखा जिन्हें जीवन/कार्य में लागू किया जा सकता है।

☐ पूर्णतः सहमत ☐ आंशिक सहमत ☐ तटस्थ ☐ असहमत

9. यह प्रशिक्षण मेरे व्यावसायिक/शैक्षणिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

☐ पूर्णतः सहमत ☐ आंशिक सहमत ☐ तटस्थ ☐ असहमत

घ : समग्र फीडबैक

10. प्रशिक्षण की समग्र रेटिंगः

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ (1 = संतोषजनक, 2 = सामान्य, 3 = उत्तम, 4 = अतिउत्तम, 5 = उत्कृष्ट)

11. प्रशिक्षण में आपको सबसे अच्छा क्या लगा?

....

....

12. प्रशिक्षण में मूल्य संवर्द्धन हेतु सिखायी गयी कोई चार बातें जो आप अपने विद्यालय में लागू करेंगे, लिखिए?

....

....

SWOC विश्लेषण प्रपत्र

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

दूरभाष: 0522–2780385, 2780505
ईमेल: dscertup@gmail.com
facebook: @dscertup

फैक्स: 0522–2781125
वेबसाइट: www.scert-up.in
Youtube: scertup

JBTC Campus, Nishatganj, Lucknow | 0522-2780385, 2780505 | www.scert-up.in | dscertup@gmail.com | SCERT UP | SCERT UP